वॉलंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया
स्वैच्छिक संगठनों की शीर्ष निकाय
स्थापना वर्ष 1988
स्वैच्छिक क्षेत्र की आवाज़
वाणी

ई - वाणी

अंक 08 जून–जुलाई 2014

इस अंक के भीतर

पृष्ठ 02
पंचायती राज और गैर–सरकारी संस्थाएं

पृष्ठ 06
अनुदान सहायता सुधारों को विकास प्रभावकारिता की परीक्षा से गुजरना होगा

पृष्ठ 15
भारत में गैर–लाभकारी क्षेत्र के लिए बजट 2014 के निहितार्थ

पृष्ठ 17
जनतांत्रिक भारत को असहमति से निबटने में परिपकवता दर्शानी चाहिए

संपादकीय

प्रिय सदस्यो, एसोसिएट सदस्यो और वाणी के मित्रो

वाणी की ओर से शुभकामनाएं!

पिछले कुछ वर्षों में स्वैच्छिक क्षेत्र के वातावरण के जबर्दस्त बदलाव आया है और इसके साथ उसकी बुनियादी विशेषज्ञताओं में परिवर्तन और सुधार भी हुए हैं। नई संलग्नताओं, साझेदारियों और संपर्कों ने स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए तदनुसार ही सहयोग करने और अपनी कार्यक्षमताओं को विकसित करने के लिए और कभी–कभी अपने ढांचागत रूप की बदलने के नये अवसर प्रदान किये हैं। क्षेत्र में बदलाव लाने वाला एक इसी प्रकार का विशेष सहयोग निगमित समामाजिक दायित्व से संबंधित है।

जब से अपनी आय का दो प्रतिशत सामाजिक कार्य पर लगाने के लिए कंपनियों को अनुदेश प्राप्त हुआ है तब से स्वैच्छिक क्षेत्र के सामने एक नया आयाम उभर कर आया है। क्षेत्र ने इस निर्देश को स्वैच्छिक संस्थाओं के लिए एक अवसर के रूप में देखा है। व्यवसाय और निगमित क्षेत्र ने तब से निगमित सामाजिक दायित्व को कार्यान्वित करने में स्वैच्छिक क्षेत्र की पेशेवर विशेषज्ञता हासिल करने का प्रयास किया है। निगमित सामाजिक दायित्व अपने को एक ऐसे प्रतिमान के रूप में प्रस्तुत करता है जिसमें सामाजिक विकास की जरूरतें व्यावसायिक लक्ष्यों के साथ सुमेलित हो जाती हैं। व्यवसाय और सामाजिक संगठनों द्वारा सर्वसम्मति या साझे लक्ष्य पर पहुंच कर निगमित सामाजिक दायित्व देश के सामाजिक विकास वातावरण में वांछित बदलाव लाने की एक प्रभावकारी रणनीति बन सकता है और संस्थाओं को बुनियादी स्थिरता प्रदान कर सकता है। निगमित सामाजिक दायित्व के अनिवार्य प्रावधान का कंपनियों को समाज की जरूरतों की दिशा में संवेदनशील बनाने की दृष्टि से प्रभाव पड़ता है और उसमें सामाजिक दायित्व को लेकर प्रतिक्रिया पैदा होती है। आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र पर स्वैच्छिक क्षेत्र की निर्भरता इस दृष्टि से बढ़ सकती है कि निधियों के संसाधनों में गिरावट आ रही है। संस्थाओं को भी यह रूचि है कि वे अपने परियोजना प्रस्तावों के साथ कंपनियों के पास जाने के साथ अपनी रणनीतियों की शुरूआत करें। स्वैच्छिक क्षेत्र पर एक विहंगम दृष्टि डालने से यह पता चलता है कि उसमें मानकीकरण का अभाव है और उसके उसके भीतर फलफूल रहे अभिशासन पर कोई नियंत्रण नहीं है। क्षेत्र में गैर–विश्वसनीय संगठनों के प्रवेश ने विश्वसनीय संस्थाओं को प्रभावित करते हुए पूरे क्षेत्र की सम्मानजन स्थिति को मलिन किया है। स्वैच्छिक संस्थाओं की शीर्ष संस्था हाने के नाते वाणी ने स्वैच्छिक संस्थाओं का आह्वान करते हुए यह बात दोहराई है कि वे जवाबदेही और पारदर्शता के साथ अभिशासित करने वाले मानदंडों का पालन करें। इसके बाद हमने अपनी सदस्य संस्थाओं की वार्षिक/ऑडिट रिपोर्टें एकत्र करने में पहल की जिन्हें सीआरएस निधियों के वितरण के उद्देश्य संभावित कंपनियों को दिया जाना। यह जानना बड़ा दिलचस्प है कि अपने निगमित सामाजिक दायित्व के मामले में कई कंपनियों को ज्ञान नहीं था और इसका उपयोग कैसे करना है इस संबंध में उन्हें कोई व्यावहारिक जानकारी नहीं थी। इसी प्रकार कई

शेष पृष्ठ 5 पर

बीबी–5, प्रथम तल, ग्रेटर कैलाश इन्क्लेव–2, नई दिल्ली – 110 048 (भारत)
फोनः 91–11–29228127, 41435535, 29226632, फैक्सः 91–11–41435535
ई–मेलः info@vaniindia.org वेबसाइटः www.vaniindia.org

पंचायती राज और गैर–सरकारी संस्थाएं

नागरिक समाज जिस प्रमुख अनुदेश को लेकर काम करता है वह है संस्थाओं का जनतंत्रीकरण करना और उन्हें उचित रूप से जनतांत्रिक बनने की दिशा में उन्मुख करना। भारतीय संदर्भ में भारतीय समाज की प्रतिध्वनि विकेंद्रीकृत समाज की जमीनी स्तर की संस्थाओं, पंचायती राज संस्थाओं के साथ सक्रियतापूर्ण संलग्नता में सुनाई देती है। 73वें संवैधानिक संशोधन के अधिनियमन द्वारा पुष्ट किया गया पंचायती राज अधिनियम ग्रामीण जनगण के विकास को प्रभावित करने वाली ग्रामीण निर्धनता का एक प्रयुत्तर था। सरकार की ओर से संस्थागत और कार्यगत विफलताओं को स्वीकार करते हुए, स्वशासन ने संस्थागत सुधारों के मार्गदर्शक का स्थान ले लिया। यह निष्कर्ष निकाला गया कि विकेंद्रीकृत जनतंत्र सरकारी मशीनरी के साथ स्थापित करने के लिए एक अच्छी युक्ति सिद्ध होगा। जमीनी स्तर की संस्थाओं को वैधता का कानूनी स्वरूप प्रदान करने से लोगों की सक्रिय सहभागिता सुगम बनेगी और नियोजन तथा विकास में उनकी भागीदारी से उनका सशक्तीकरण होगा। गांधी के स्वराज और आत्म–निर्भरता के विचारों से प्रेरणा प्राप्त करते हुए कानून के रूझान के अनुसार तैयार किया। नरसिंहा सरकार के तत्वावधान में 1992 संवैधानिक कानून (73वां संवैधानिक अधिनियम) बनाया गया जिसका उद्देश्य राज्य स्तर और राष्ट्रीय ढांचे के साथ इस विकेंद्रीकृत अभिशासन का आधार ग्राम सभा बनी और इसमें ग्राम पंचायत, पांचायत समिति और जिला परिषद का त्रि–स्तरीय ढांचा जोड़ा गया।

पंचायती राज अधिनियम के कुछ लक्षण इस प्रकार हैं:

- महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों का आरक्षण
- तीनों निकायों में उनकी जनसंख्या के अनुपात में कमजोर तबकों और जनजातियों को आरक्षण प्रदान करना।
- चुनाव संचालित करने का पर्दावेक्षण अधिकारी चुनाव आयोग को बनाना।
- नीचे से ऊपर के नियोजन को प्रोन्नत करने के लिए जिला योजना आयोग (डीसीपी) को नोडल एजेंसी बनाया गया।
- इस कानून के अधिनियमन से राज्य वित्त आयोग अस्तित्व में आये जो पंचायतों को वित्तीय अनुदान आवंटित करने वाले कोष हैं।

पंचायती राज संस्थाओं की मुख्य ताकत नियोजन, कार्यान्वयन और परियोजनाओं के विकास के लिए इन्हें प्रदान की गई शक्ति और अधिकार हैं। अधिनियम इस प्रकार तैयार किया गया कि वह सामाजिक न्याय प्रदान करे जो कि पंचायतों की मुख्य प्राथमिकता है। पंचायतों की कार्य सूची में आर्थिक विकास की योजना बनाना, सामाजिक न्याय और ग्यारहवीं सूची में दिये गये कार्यों के अनुसार आर्थिक विकास के साथ कल्याण योजनाओं का कार्यान्वयन करना है।

विकेंद्रीकृत जनतंत्र के मॉडल की सफलता को निर्धारित करने वाला मानदंड ग्राम पंचायत के प्रभावशाली कार्य पर निर्भर करता है। अनेक मुख्य बाधाएं जनतंत्र के प्रभाव को अवरोधित करती हैं। इनमें एक मुख्य बाधा अफसरशाही है। इन कानूनों को लेकर और विशेषकर इसकी सशक्तीकरण मुहिम को लेकर जो उत्साह पहले मौजूद था अब समय बीतने से साथ कम होता जा रहा है। पंचायतों के सशक्तीकरण में क्षरण का एक कारण राज्य सरकारों में मन मौजूद यह विचार है कि पंचायतें उनके प्राधिकार या सत्ता को चुनौती दे सकती हैं। इसने जमीनी स्तर के जनतंत्र की ओर झुकाव की काफी क्षति की है और उसमें गतिरोध ला दिया है। विशेषकर इसने जमीनी स्तर के जनतंत्र के अस्तित्व के आधार को या स्वायत्तता को नुकसान पहुंचाया है। शायद ही कोई इस बात से असहमत होगा कि पंचायतों ने अपनी प्रगतिशील भूमिका के बल पर जनतंत्र को गहन बनाया है, फिर कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्होंने पंचायतों की कार्यशीलता के व्यापक वायदे को बाधित किया है। जाति और जेंडर संबंधी पश्चगामी झुकावों के साथ लगातार मौजूद सामाजिक असमानता ने पंचायती राज संस्थाओं पर अपनी छाप छोड़ी है जिसके कारण कार्यालयों में समृद्ध और धनी लोगों का बोलबाला रहा है। अगर अधिक सटीक शब्दों में कहें तो भ्रष्टाचार उस तानेबाने के भीतर घुस गया है जिसे नैतिक जनतांत्रिक मॉडल का आधार होना चाहिए था। पारदर्शिता और जवाबदेही के अभाव, निधियों को हड़पने, कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन न किये जाने आदि की वजह से पंचायती राज संस्थाओं के संस्थागत

आधार को नुकसान पहुंचा है जिसके फलस्वरूप इस अधिनियम की संवैधनिकता का उल्लंघन हुआ है। इस प्रकार की अक्षमता और अनुत्तरशीलता व्यापक जन समुदाय के लिए हानिकारक सिद्ध हुई है।

यहीं पर स्वैच्छिक संस्थाओं की ओर से हस्तक्षेप आवश्यक होता है अर्थात पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक स्वायत्तता की वकालत करने में उनकी मुखर मध्यस्थता की जरूरत होती है। नागरिक समाज ने पंचायती राज संस्थाओं के ढांचे के अंतर्गत सशक्तीकरण के प्रयास में निर्धनों और सीमांतीकृत लोगों की भागीदारी की स्पष्ट रूप से पुष्टि की है। सहभागितापूर्ण कार्रवाई को अधिक सकारात्मक बनाने के लिए नागरिक समाज की संस्थाओं ने अनेक केस स्टडीज तैयार की हैं और शोध किये हैं जो पंचायती राज संस्थाओं के कार्य को आसान बनाने के सही समाधान प्रस्तुत करते हैं।

लामबंदी, संगठन–कार्य और सशक्तीकरण के इर्दगिर्द, नागरिक समाज के संगठनों ने पंचायती राज संस्थाओं और स्थापित व्यवस्था के बीच–मुख्यतः पंचायतों के कार्य क्षेत्र और उनकी स्वायत्त स्थिति को बनाये रखने को लेकर– अनेक साझेदारियां स्थापित की हैं। पंचायतों में महिला भागीदारी के लिए एडवोकेसी का एक प्रमुख प्रयास रहा है। अनेक नागरिक समाज संगठनों ने दलितों, अनुसूचित जातियों जैसी ग्रामीण आबादी के सीमांतीकृत हिस्सों के क्षमता निर्माण के लिए कार्य किया है। उनके द्वारा चलाये गये अन्य अभियानों में नियमन और जवाबदेही सुनिश्चित करना, स्वयं ग्राम स्तरीय समितियों को विकास योजनाएं तैयार करने और उनका कार्यान्वयन करने के अधिकार प्रदान करना आदि शामिल हैं। क्षमता निर्माण के प्रयास सामुदायिक सहभागिता को स्थायित्व या स्थिरता प्रदान करेंगे तथा निगरानी और नियंत्रण की एक ठोस प्रणाली स्थापित करेंगे। पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तीकरण करने की इच्छा इस विश्वास से उभरी है कि योजनाएं और कार्यक्रम तैयार करने में उनकी वैध भूमिका है जो उनकी स्वायत्तता को पुष्ट करती है। बाधाओं से रहित जानकारी का मुख्य प्रवाह पारदर्शिता और जवाबदेही के मानकों को बनाये रखने की दिशा में दायित्व को व्यापक बनायेगा।

स्वैच्छिक संस्थाओं के सामने एक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि वे अपनी कार्यनीतियों का प्राथमिकीकरण करें और समकालीन स्थितियों के अनुरूप नये मॉडल और कार्यतंत्र या कार्यविधियां तैयार करें। नयी बाधाओं और समस्याओं के लिए नये–नये प्रकार के समाधानों की जरूरत होगी। त्रि–स्तरीय ढांचा होने के करण पंचायती राज संस्थाएं जमीनी स्तर के जनतंत्र के जटिल मॉडल हैं जिनमें अनेकानेक कड़ियां और संपर्क मौजूद हैं। इन ढांचों में सुधार लाने के लिए सबसे पहले यह आवश्यक है बाधाओं में कमी लाई जाये और पंचायतों को अपने कार्य में अक्षम बनाने वाली नौकरशाही की बाधाओं के संदर्भ में ढांचागत रुकावटों को दूर किया जाये। स्वैच्छिक क्षेत्र एक नई पहलकदमी के रूप से एक ऐसा इलैक्ट्रानिक मीडिया मंच शुरू कर सकता है जो एक स्वतंत्र एजेंसी के रूप में पंचायती राज संस्थाओं में होने वाले भ्रष्टाचार या गलत कार्यों के खिलाफ आम लोगों की चिंताओं को आवाज प्रदान कर रहे।

पंचायती राज संस्थाएं मूल रूप से राज्य और जिला प्राधिकरणों द्वारा दिये जाने वाले सरकारी अनुदानों पर निर्भर करती हैं पर प्रशासनिक विलम्बों और लालफीताशाही (रेड टेप) का बोलबाला होने की वजह से कई बार विशेषकर आदिवासी इलाकों में रहने वाले लाभार्थियों तक लाभ नहीं पहुंच पाते। नागरिक समाज और स्वैच्छिक संस्थाएं पंचायतों की ओर से कार्य करते हुए गांवों के आम लोगों को उनके वित्त और संसाधन संबंधी निर्विवाद अधिकारों के बारे में शिक्षित कर सकते हैं और इस उद्देश्य से उन्हें उपयुक्त कानूनी सेवा प्रदान कर सकते हैं।

महिलाओं और दलितों की सहभागिता को कारगर बनाने के प्रयास किये जाने चाहिए। महिलाएं और दलित सर्वाधिक बहिष्कृत समूहों का सामाजिक आधार है। इन दो समूहों को पंचायती राज अधिनियम की धारा 243(घ) के अंतर्गत आरक्षण प्रदान किया गया है। भारतीय समाज का सांस्कृतिक आधार हमेशा से जाति और पितृसत्तात्मक समीकरण के संयोजन पर आधारित रहा है। इसी के फलस्वरूप राजनीतिक मंचों में महिलाओं और दलितों का अभाव नजर आता है। इसलिए यह आवश्यक है कि जमीनी स्तर की संस्थाओं में दलितों और महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने का प्रयास किया जाये। आरक्षणों को पुनः वितरणकारी माना जाता है, जबकि व्यवहार में सत्ता के पारंपरिक ढांचे ग्रामीण राजनीतिक परिदृश्य में अपना दबदबा बनाये हुए हैं। जरूरत वास्तविक राजनीतिक स्वायत्तता की है, न कि कुछ लोगों द्वारा किये जाने वाले कठपुतली के तमाशे की। इन दो समूहों के निर्वाचित सदस्यों के हाथों में राजनीतिक स्वायत्तता आने से निश्चित रूप से अत्याचार और दमन की घटनाओं में कमी आयेगी जिससे निश्चित ही नये अवसरों के द्वारा खुलेंगे। नागरिक समाज और स्वैच्छिक संस्थाओं को इन दो समूहों को अपना प्रभावकारी राजनीतिक उत्थान हासिल करने और एक सक्षमकारी वातावरण तैयार करने में अपनी उपयुक्त भूमिका निभानी होगी।

सर्वोपरि यह कि नागरिक समाज के संगठनों, स्वैच्छिक संस्थाओं, गैर–सरकारी संस्थाओं सभी को प्रभावकारी विकास हेतु बृहत और सूक्ष्म स्तरीय योजनाओं में सहायता प्रदान करते हुए पंचायतों के साथ प्रभावकारी रूप से कार्य करना चाहिए।

– अर्जुन कुमार फिलिप्स
संचार एक्जेक्यूटिव, वाणी, नई दिल्ली

आईबी की रिपोर्ट और उससे निकली कटु सच्चाइयां

आईबी द्वारा लगाया गया यह आरोप कि गैर–सरकारी संस्थाएं संवृद्धि और विकास को बाधित कर रही हैं, स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए चिंता और सरोकार का विषय है। यह गैर–सरकारी संस्थाओं के खिलाफ गृह मंत्रालय द्वारा लगातार और प्रथागत रूप से किया जाने वाला कार्य है, पर इसका चिंताजनक पहलू यह है कि यह राष्ट्रीय चर्चाओं में व्यापक रूप से सामने आया है। आईबी द्वारा की गई इस कटु आलोचना के पीछे नागरिक समाज के खिलाफ उसकी गहरी नाराजगी और द्वेष छिपा है। गैर–सरकारी संस्थाओं को विकास–विरोधी बताते हुए आईबी ने उन्हें विदेशी निधियों का एक वाहक या माध्यम बताया है जो भारत के आर्थिक विकास को दांव पर लगाये हैं।

भारत में काफी अधिक संस्थाएं विदेशी निधियों पर निर्भर हैं जो कि विदेशी अनुदान नियमन अधिनियम (एफसीआरए) के अंतर्गत वैध है। इन निधियों का उपयुक्त प्रकार से उपयोग करके स्वैच्छिक संस्थाएं मानवतावादी और विकास कार्य करती हैं। यह कहना बेमानी और पाखण्डपूर्ण होगा कि इस क्षेत्र में सभी संस्थाएं ईमानदार हैं और सच्चे रूप में सामाजिक कार्य के मुद्दों को लेकर काम कर रही हैं। ऐसा नहीं है, कई संस्थाएं जानबूझ कर सामाजिक कार्य के नाम पर मुनाफा कमाने के कार्य कर रही हैं। इसी प्रकार कंपनियों, नौकरशाही और अन्य क्षेत्रों के साथ इस स्थिति की तुलना की जा सकती है। पर इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग सभी स्वैच्छिक संस्थाओं के लिए अलग से करना न केवल गलत बल्कि पक्षपातपूर्ण है।

अधिक गहन विश्लेषण से पता चलता है कि गृह मंत्रालय और आईबी के इस विरोधभाव का मूल कारण यह तथ्य है रिपोर्ट में दी गई सूची में वे शामिल संस्थाएं हैं जो पर्यावरण और जनजातीय अधिकारों के विषयगत मुद्दों को लेकर काम करती रही हैं। रिपोर्ट में जानबूझ कर मानव अधिकार संसाधनों को राज्य के विकास प्रयास में बाधा डालने वाली संस्थाएं बताया गया है। हालांकि यह सह–संबंध तार्किक रूप से अजीब–सा लगता है क्योंकि मानव अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्थाएं किस प्रकार से देश के व्यापक आर्थिक विकास को बाधित कर सकती हैं। एक नव–उदारवादी कार्यावली सरकार के भीतर गहरे जमी है जोकि औद्योगिक संवृद्धि को सीमांतीकृत और निर्धन लागों के अधिकारों पर प्रमुखता प्रदान करती है। इस प्रकार की क्षरणकारी विचारधारा स्वैच्छिक संगठनों के लिए न केवल हानिकारक है, बल्कि यह उन्हें विदेशी एजेंसियों के ऐसे शिविर में रख देती है जिससे उनका केवल नकारात्मक प्रचार होता है। पारंपरिक रूप से आईबी एक ऐसी मुख्य एजेंसी रही है जिसका सरोकार राष्ट्र विरोधी कार्यकलापों पर नजर रखना रहा है। सरल शब्दों में कहें तो इसका अनुदेश आतंकवादियों और सुरक्षा के मुद्दों पर नजर रखना रहा है। रिपोर्ट के जारी होने वे साथ यह संदेश स्पष्ट रूप से संचारित हुआ कि आईबी की दृष्टि से गैर–सरकारी संस्थाएं एक खतरा हैं। इतिहास पर फिर कुछ नजर डालें तो हमें इस संबंध में और ज्ञान प्राप्त होगा। उदाहरण के लिए गैर–सरकारी संगठनों द्वारा प्राप्त विदेशी निधियों का पर्यवेक्षण करना एफसीआरए विभाग का विशेषाधिकार रहा है। यह बात आश्चर्य के रूप में सामने आई कि जब गृह मंत्रालय के अधीन एफसीआरए विभाग प्रामाणिक और अप्रामाणिक संस्थाओं के सूचियां तैयार कर उन्हें जारी कर रहा था, तब आईबी द्वारा इस विशेष कार्य को करना कुछ विवादास्पद प्रश्नों को सामने लाता है। क्या इस प्रकार का विभागीय प्रभुत्व कानूनी या संवैधानिक है? जहां दोनों ही विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, वहां क्या आईबी द्वारा किया गया कार्य उस विभाग के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं हैं जिसकी स्थापना विदेशी अनुदान का कार्य देखने के लिए की गई है। बेशक इस बात से सभी सहमत होंगे कि आतंकवादी कार्यकलाप विदेशी निधियों चलते हैं, पर क्या नागरिक समाज के संगठन उन आतंकवादी संगठनों की तरह ही बनाए गए हैं जो नगरों को बर्बाद कर देते हैं, निर्दोषों की हत्या करते हैं और अपनी पर पीड़नकारी (सेडिस्टिक) कार्यावली को लेकर काम करते हैं। दूसरी ओर ये संगठन तो बेसहारा और पिछड़े लोगों के प्रबल पैरवीकार होते हैं। इसलिए इस रिपोर्ट के पीछे निहित मनोवैज्ञानिक इरादे का अर्थ कोई भी निकाल सकता है और आईबी पर विदेशी हितों का प्रतिनिधित्व करने का समान रूप से आरोप लगा सकता है। क्यों नहीं? इस रिपोर्ट का पूरा आधार ही यह तर्क है कि गैर–सरकारी संस्थाएं बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कार्य नहीं करने दे रही हैं। कोई भी यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि आईबी की रिपोर्ट देश के अभागे नागरिकों की बजाये विदेशी उद्योगों की ओर अधिक झुकाव दर्शाती है।

कोई भी इस बात से इंकार नहीं करता कि उद्योग महत्वपूर्ण रूप से जरूरी हैं, वे ठोस अर्थव्यवस्था के निर्माण में देश के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पर ऐसा देश निर्धनों की कीमत पर बनाया नहीं जा सकता। नागरिक समाज ज्यादा से ज्यादा इस सीमांतीकृत और अभागे लोगों का – जो संसाधनों सं वंचित रहे हैं – पैरवीकार बन सकता है। समावेशपूर्ण विकास के प्रतिमान की बात बार–बार तो की जाती है, पर सरकार ने कभी भी इसे ठोस रूप में सामने नहीं रखा है। केवल नागरिक समाज और गैर–सरकारी संस्थाओं ने ही बार–बार समावेशपूर्ण विकास के कारक पर बल दिया और इसके विलंबित कार्यान्वयन की याद दिलाई है। साथ ही पर्यावरण को लेकर काम करने वाले संगठनों को ऐसे मनगढंत आंकड़े गढ़ने वाले बताकर जिनसे सकल घरेलू उत्पाद में आर्थिक घाटा हुआ है, आईबी ने

पर्यावरण के मुद्दों के प्रति अपनी असहनशीलता दिखाई है। इस बात पर विचार करने की जरूरत है कि पर्यावरण संबंधी सरोकारों की किस तरह से उपेक्षा की जा सकती है। क्या टिकाऊ या स्थायित्वपूर्ण विकास समय की जरूरत नहीं है? जब दुनिया और अधिक हरित भविष्य की दिशा में आगे बढ़ रही है तब हमारी सरकार उद्योगों से विकास सुनिश्चित करने के अतिरिक्त आशावाद का रास्ता अपना रही है। देश की समस्याओं की अनदेखी करने से भविष्य में समस्याएं और दिक्कतें ही सामने आयेंगी। "महाशक्ति" का दर्जा हासिल करने के प्रयास में एक ऐसे देश के लिए निर्धनता, भूख और अन्य कठिनाइयों से ग्रस्त है, विकास का प्रतिमान जन–केंद्रित मॉडल होना चाहिए, न कि उद्योग केंद्रित मॉडल। फिर जनता और उद्योग का संयोजन भी स्वागत योग्य होगा। निजी–सार्वजनिक साझेदारी पर आधारित उद्योग तैयार करने से दीर्घकालिक रूप से व्यापक जन–समुदाय को लाभ प्राप्त होना चाहिए और इसे किसी विशेष वर्ग तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उद्योग और निर्धनता, दोनों का एक आनुपातिक संबंध है। इस समीकरण को उलटा करने से बड़े पैमाने पर असमानताएं पैदा होंगी और संपदा का कुछ हाथों में संकेंद्रण होगा। विकास के केवल एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करना, जिसमें अन्य भागों की उपेक्षा कर दी जाती है, निर्दयी और गैर–जिम्मेदार बनना होगा; और दुख की बात है कि आज एक मतवाद के रूप में पूरे मन से इसी का पालन किया जा रहा है। आईबी की रिपोर्ट को समूचे रूप में संचार माध्यमों ने भी खुले मन से स्वीकार कर लिया है। संचार माध्यमों ने स्वैच्छिक क्षेत्र पर ऐसी संदिग्ध संस्थाओं वाले क्षेत्र के रूप में कटुता से प्रहार किया है जो सूचना अधिकार (आरटीआई) के दायरे से बाहर रह कर कार्य कर रही हैं। एक सरल से प्रकटीकरण से यह रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई जो कि गुप्त इरादे से एक नियोजित प्रचार की पुष्टि करती है।

स्वैच्छिक क्षेत्र को बदनाम करने के लिए अपनाई जाने वाली इस प्रकार की रणनीतियां इस क्षेत्र और समाज का भला करने की बजाये उन्हें नुकसान पहुंचायेंगी। संचार माध्यमों के साथ गठबंधन करना पूरी तरह से गैर–जनतांत्रिक है जिसमें कर्तव्यबद्ध रूप से किया गया चापलूसी का तत्व मौजूद है। इस बात को समझा जाना चाहिए कि नागरिक समाज के स्वैच्छिक क्षेत्र और गैर–सरकारी संस्थाएं उस शून्य को भरती हैं जो शून्य सरकारी एजेंसियों की विफलता से पैदा हुआ है। हमारे बहुलतावादी जनतंत्र की यह एक विशेषता है जो उपयुक्त और रचनात्मक विरोध–पक्ष को खुला स्थान या अवसर प्रदान करती है। इस रूख पर चोट करने या उसे हानि पहुंचाने से केवल उन जनतांत्रिक उद्देश्यों की उपेक्षा होगी जिन्हें हम हासिल करना चाहते हैं और इससे सर्वसत्तावाद से भरपूर एक खतरनाक पूर्वोदाहरण ही तैयार होगा। सर्वोपरि रूप से यह रिपोर्ट नैतिक रूप से उचित नहीं है, जैसा कि उक्त तथ्यों से सिद्ध होता है। यह मनोवाद (सब्जेक्टिविटी) की उपज है जो इस क्षेत्र का जो कि अभिन्न रूप से राष्ट्र निर्माण से जुड़ा रहा है – मूल्यांकन करने की दृष्टि से न तो संतुलित है और न ही निष्पक्ष है। हम इस प्रकार की निंदाजनक आलोचना को सहन नहीं कर सकते जो इस देश की विशाल आबादी का जिसे हम सेवा प्रदान करते हैं अपमान करती है।

राज्य को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि नागरिक समाज सर्वोत्तम रूप में आम लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें संदेह नहीं कि जनतंत्र में प्रामाणिक प्रतिनिधि उसके निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, पर इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि आधार स्तर पर नागरिक समाज ही उनकी सहायता के लिए आगे आता है। कहना न होगा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, जेंडर संबंधी मुद्दों के क्षेत्र में देश की जो निराशाजनक स्थिति है वह भयावह और शर्मनाक है, तब सरकार को अपने अहंवाद को कम करना होगा और क्षेत्र के योगदान की सराहना करनी होगी। इस समय इस रिपोर्ट के सामने आने के साथ इस क्षेत्र का आशावाद प्रभावित हुआ है, पर न्याय के लिए प्रयास समाप्त नहीं हुआ है। यह इस क्षेत्र पर निर्भर करता है कि वह अपने को सही ठहराये और यह तभी संभव है जब सभी एकजुट होकर और बौद्धिक रूप से इस प्रकार के आरोपों का जवाब दें। अस्तित्व में बने रहना हमारा अभिन्न नैतिक अधिकार है क्योंकि हम जिन्हें सेवा प्रदान करते हैं वे अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। महात्मा गांधी द्वारा प्रचारित धैर्यपूर्ण प्रतिरोध के आदर्शों पर खरा उतरना अपनी पहचान का दावा करने का और अपने ध्येय के लिए धर्मयुद्ध का एकमात्र व्यावहारिक रास्ता है।

पृष्ठ 1 का शेष

स्वैच्छिक संस्थाएं इस उलझन में थीं कि वे सीएसआर का उपयोग कैसे करें। इस कमी को दूर करने के लिए वाणी निगमित सामाजिक दायित्व पर सीआरएस निदेशिका संकलित करेगी जो स्वैचिछक संस्थाओं तथा कंपनियों के बीच संवाद की प्रक्रिया को सुगम बनायेगी। स्वैच्छिक क्षेत्र और निगमित विश्व के बीच होने वाले इस संवाद में वाणी एक मध्यस्थ एजेंसी का कार्य करेगी। वाणी द्वारा किया जाने वाला यह कार्य संस्थाओं का कोई आत्मगत मूल्यांकन नहीं है बल्कि स्वैच्छिक संस्थाओं और कंपनियों के लिए मिलकर काम करने की सुगमकारी व्यवस्था है।

इस दिशा में हमारे प्रयास अनेक संस्थाओं द्वारा महसूस की जाने वाली संसाधनों की कमी का परिणाम हैं और हम समाज और सामाजिक विकास में स्वैच्छिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान को जारी रखने में मदद करना चाहते हैं। हमें आशा है कि हमारे सदस्य और एसोसिएट सदस्य इस पहलकदमी में योगदान करेंगे और उसका हिस्सा बनेंगे क्योंकि क्षेत्र की स्थिरता को सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है।

हर्ष जेतली
मुख्य कार्य अधिकारी

अनुदान सहायता सुधारों को विकास प्रभावकारिता की परीक्षा से गुजरना होगा

— कांकोर्ड द्वारा तैयार किया गया आलेख

आसन्न पर्यावरण संकट और भूमंडलीय राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में नये प्रमुख कार्य पक्षों के उभार के साथ भूमंडलीय अर्थव्यवस्था में हाल की उठापटक ने विकास के परिदृश्य को बदल डाला है। कई विकासशील और उभरते देशों में टिकाऊ आर्थिक विकास के बावजूद **निर्धनता अभी भी व्यापक बनी हुई है और विकास अकेले इसका उन्मूलन नहीं कर सकता।**

ये बदलाव और परिवर्तन ये सवाल उठाते हैं कि भूमंडलीय विकास आकांक्षाओं और लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयासों को किस प्रकार से वित्तपोषित किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। जहां वित्त के सभी स्रोत विकास के लिए महत्वपूर्ण बने हुए हैं, वहीं निर्धनता और असमानता के विरुद्ध संघर्ष में अनुदान–सहायता की अनूठी भूमिका है और इसकी जगह और किसी भी प्रकार की सहायता नहीं ले सकती।

आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) के उद्देश्य, मापन, मानदंडों और परिभाषा की समीक्षा करना इसलिए अत्यंत आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसका उपयोग सर्वाधिक प्रभाव हेतु हो। इस संदर्भ में ओईसीडी विकास सहायता समिति (ओईसीडी डीएसी) द्वारा इस समय की जा रही समीक्षा इस दिशा में एक सही कदम है। इतना ही नहीं ओडीए में किस प्रकार से सर्वोत्तम रूप से सुधार लाया जाये, यह एक दीर्घकालिक और समग्रतापूर्ण दृष्टिकोण है जिसमें समान आधार पर सभी हितधारक शामिल होते हैं। वर्तमान ओईसीडी विकास सहायता समिति द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया उल्लेखनीय रूप साझेदार देशों द्वारा प्राप्त विशुद्ध राशियों पर नजर रखने से लेकर अनुदानकर्ता के बजटीय प्रयासों को सूचित करने तक पर केंद्रित है। इसमें पारदर्शिता और विकास प्रतिबद्धता की दृष्टि से ओडीए की विश्वसनीयता को समाप्त करने का जोखिम मौजूद है। ओईसीडी विकास सहायता समिति ने ओईडीए की आधुनिकरण प्रक्रिया को अधिक समावेशपूर्ण बनाने का प्रयास किया है, पर अधिकांशतः यह अनुदानताओं के बीच–अनुदाताओं के लिए अनुदाताओं द्वारा तय किया जाने वाला विचार–विमर्श– बना हुआ है।

ओडीए–जिस रूप में हम उसे जानते हैं

1970 के दशक से ही ओईसीडी विकास सहायता समिति ने ओडीए की परिभाषा आधिकारिक एजेंसियों (ओडीए का ओ) डीएसी की प्राप्तिकर्ता सूची में शामिल देशों और क्षेत्रों को निधि प्रवाहों के रूप में की है। इन प्रवाहों को विकासशील देशों के आर्थिक विकास

और कल्याण को प्रोन्नत करने के साथ सुशासित किया जाता है। 1970 में राष्ट्र संघ महासभा (Res 25/2626) ने स्पष्ट किया था कि जब विकास के लिए वित्तीय संसाधनों की बात आती है तो अनुदाता देशों को वास्तविक संवितरण की दृष्टि से वास्तविक राशियों में लक्ष्य हासिल करने चाहिए। तब से आईसीवीडी विकास सहायता समिति विशुद्ध और सकल निधि प्रवाहों पर आंकड़े प्रदान कर रही है और उसने **विशुद्ध राशियों में भूमंडलीय रूप से सहमत लक्ष्यों के अनुदार अनुदाताओं के कार्य प्रदर्शन का आकलन किया है।**

जहां ओडीए की परिभाषा के मुख्य बिन्दु में कोई बदलाव नहीं आया है, वहीं उसके कवरेज और प्रयोज्यता को नये कार्यकलापों और विकास सहयोग की बदलती प्रकृति के अनुसार समायोजित करना पड़ा है। समय के साथ–साथ अनुदाता रिपोर्टिंग पद्धतियों का मार्गदर्शन करने वाले निर्देशों में अनेक संसोधन किये गये हैं। उदाहरण के लिए, 1984 में आईसीडी विकास सहायता समिति ओडीए में विकासशील छात्रों की ट्यूशन फीस की लागतों को शामिल करने पर सहमत हो गई थी। 1988 में अनुदानकर्ता देशों में विकासशील देशों के शरणार्थियों के पहले वर्ष की जीवन यापन लागत को भी शामिल किया गया था। तब से हाल का घटनाक्रम है – राष्ट्र संघ शांतिकरण में डीएसी के सदस्यों के बहुपक्षीय योगदानों के 6 प्रतिशत को शामिल करना।

ओडीए की परिभाषा की पिछले दशकों में ओईसीडी विकास सहायता समिति के सदस्यों और नागरिक समाज सहित अन्य पक्षों द्वारा विभिन्न कारणों से आलोचना की गई है। अपनी इंकीमम ानमम सहायता अंसमम पद्धति के माध्यम से कांकोर्ड एडवाच ने तर्क दिया कि यह बहुत व्यापक है क्योंकि इसमें ऐसे व्यय शामिल किये गये हैं जो विकासशील देशों की जरूरतों को सीधे–सीधे पूरा नहीं

करते। दूसरों का तर्क था कि यह परिभाषा बहुत संकीर्ण है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सरकारी प्रयासों को शामिल नहीं किया गया जो उचित रूप से विकास में सहायता प्रदान करते हैं।

ओडीए – जिस रूप में उसे होना चाहिए

ओडीए यह सुनिश्चित करके निर्धन लोगों के जीवन में सुधार ला सकती है वह लक्ष्य लाभार्थियों को सीधे–सीधे सहायता प्रदान करे और भूमंडलीय रूप से सहमत विकास प्रभावकारिता सिद्धांतों के पालन के माध्यम से सही परिणाम हासिल करे, यानी निर्धनता का उन्मूलन करे। सहायता की गुणवत्ता उसकी मात्रा से यदि अधिक महत्वपूर्ण नहीं तो उसके समान महत्वपूर्ण होनी चाहिए और दोनों के बीच संपर्क होना चाहिए।

वर्ष 2006 में विकास के लिए वित्तपोषण पर मोंटेरेरी घोषणा में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आह्वान किया गया था कि, ओडीए को और अधिक प्रभावकारी बनाये। इसके बाद से रोम, पेरिस, आकरा और बुसान में आयोजित किये गये सम्मेलनों में विकास प्रभावकारिता को हासिल करने के लिए सिद्धांत और संकेतक तैयार किये गये हैं। ये विकास सहयोग प्रभावकारिता के लिए व्यापक कार्यावली के रूप में विकसित हुए हैं किन्तु कार्रवाई की बजाये राजनीतिक प्रतिबद्धता का बोलबोला ही अधिक रहा है।

अनुदान सहायता लोगों को निर्धनता की स्थिति से बाहर निकाल सकती है और अभाव की स्थिति में जीने वाले लोगों की सहायता कर सकती है। इसे सर्वाधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए सभी हितधारकों के पास इस संबंध में समयोचित, व्यापक, तुलनीय और सुलभ करने योग्य जानकारी होनी चाहिए कि किसे क्या दिया जा रहा है, निधियां कहां जा रही हैं और उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है।

नागरिक समाज ने विकास वित्त की प्रभावकारिता को मजबूत बनाने का आह्वान किया है; विशेषकर नागरिक समाज के संगठनों ने पारदर्शिता, विकास परिणामों, आपसी जवाबदेही, समावेशपूर्ण और जनतांत्रिक स्वामित्व तथा साथ ही मानव अधिकार आधारित दृष्टिकोणों (एचआरबीए) की धारणाओं पर बल दिया है।

साझेदार देशों – सरकारों, संसदों और नागरिक समाज के संगठनों को विकास के चालक की स्थिति में रख कर अनुदानकर्ता प्राप्तिकर्ता के बीच के पारंपरिक संबंधों को मूलभूत और स्थायी रूप से बदलने वाले अनेक तत्व मौजूद रहे हैं।

ओडीए रिपोर्टिंग और उसकी प्रभावकारिता के बीच स्पष्ट संपर्क स्थापित करने से दोनों प्रक्रियाओं और प्रोत्साहन प्रवाहों – जो अनुपूरक हैं – के बीच सामंजस्य स्थापित होगा। इसे हासिल करने के लिए ओडीए को स्पष्ट रूप से निर्धनता उन्मूलन और असमानता, विकास लक्ष्यों की उपलब्धि में योगदान और विकास प्रभावकारिता को बढ़ाने पर स्पष्ट रूप से ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस दृष्टि से ओडीए के रूप में सूचित निधि प्रवाहों की निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए:

क) सभी ओडीए निधि – प्रवाह पारदर्शी और जवाबदेह होने चाहिए। अनुदान सहायता लोगों को निर्धनता की स्थिति से बाहर निकाल सकती है और अभाव की स्थिति में जीने वाले लोगों की सहायता कर सकती है। इसे सर्वाधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए सभी हितधारकों के पास इस संबंध में समयोचित, व्यापक, तुलनीय और सुलभ करने योग्य जानकारी होनी चाहिए कि किसे क्या दिया जा रहा है, निधियां कहां जा रही हैं और उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है। सभी निधि प्रदाताओं को जानकारी को एक साझे फार्मेट में प्रकाशित करना चाहिए ताकि विभिन्न उपयोगकर्ताओं की जरूरतें पूरी हो सकें जिसमें प्राप्तिकर्ता सरकारें, अन्य प्रदाता और नागरिक शामिल हों। ओडीए के निधि–प्रवाह को जवाबदेह होना चाहिए तथा अनुदानकर्ता तथा प्राप्तिकर्ता देशों के पारस्परिक जवाबदेही ढांचों में सहायता करनी चाहिए। प्राप्तिकर्ता देश को और उससे वास्तविक निधि प्रवाहों पर नजर रखने के लिए नकद आधार पर ओडीए का मापन करना पारदर्शिता और जवाबदेही के उच्चतम मानकों को हासिल मुख्य रूप से सहायक होता है।

ख) ओडीए के जनतांत्रिक स्वामित्व को मजबूत बनाया जाना चाहिए। अनुदान सहायता तभी सचमुच प्रभावकारी हो सकती है जब सरकारें, संसदें, स्थानीय निकाय और नागरिक समाज के पास विकास प्रक्रियाओं का नियंत्रण रहे। ओडीए के निधि–प्रवाहों के विकास चरित्र को स्पष्ट रूप से निर्धनता उन्मूलन और पारदर्शी प्रोत्साहन वित्तीय रीतियों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। यह देखते हुए कि ओडीए रिपोर्टिंग में व्यावसायिक क्षेत्र द्वारा निजी निवेश लामबंद करने के लिए सार्वजनिक सहायता के अधिक प्रभूत्व देखने में अनुदाता की दिलचस्पी होती है, यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के वित्त की आम जनता के प्रति सीमित जवाबदेही होती है और जरूरी नहीं कि यह प्राप्तिकर्ता देशों की राष्ट्रीय विकास

रणनीतियों के अनुरूप हो। इसलिए अनुदानकर्ताओं की भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि उनकी विकास सहायता देश के स्वामित्व वाली प्रक्रिया को उनकी सहायता से मेल खायें और प्राप्तिकर्ता देश की प्रणालियों को मजबूत बनायें।

ग) विकास परिणामों पर मजबूती से ध्यान केंद्रित करना। अनुदान सहायता तब तक प्रभावकारी नहीं होती जब तक उसका उपयोग राष्ट्रीय विकास योजनाओं के अनुरूप विकास परिणामों पर अधिक प्रभाव डालने के लिए न किया जाये। विभिन्न देशों में राष्ट्रीय विकास रणनीतियां स्थापित करने के लिए काफी अधिक प्रयास किये गये हैं। ये रणनीतियां उन बाहरी मापनों और संकेतकों का जो हो सकता है देश की अपनी विकास प्राथकिताओं को प्रतिबिंबित न करते हों – उपयोग करने की बजाये सहायता – प्रभावकारिता की राष्ट्रीय रूप से संचालित कार्यावली के लिए मानक निर्धारित करती हैं। ओडीए में सूचित संसाधन ऐसे नहीं होने चाहिए कि जो उन परिणामों की उपलब्धियों को कमजोर करें और राष्ट्रीय विकास रणनीतियों को नाकाम बना दें।

निष्कर्ष

ओडीए में किसी भी सुधार को विकास प्रभावकारिता की परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए। मात्र रिपोर्टिंग में उल्लिखित ओडीए के संसाधनों को विकास प्रभावकारिता को पूरित करना चाहिए और उसका विस्तार करना चाहिए। ओडीए रिपोर्टिंग में अभिप्राय की वर्तमान सीमा अत्यधिक व्यापक है और उसमें ऐसे निधि प्रवाह भी शामिल हो जाते हैं जिसकी विकास और निर्धनता–उन्मूलन के मुख्य लक्ष्यों के प्रति प्रासंगिकता संदिग्ध है। अंत में अनुदानकर्ताओं को राजनीतिक इच्छाशक्ति को व्यवहार या कार्रवाई में बदलना होगा ताकि उनके विकास एजेंडा में विकास प्रभावकारिता पर आयोजित सम्मेलनों में पुष्ट समझौतों को कार्यान्वित और समेकित किया जा सके।

यूरोपीय नागरिक समाज संगठनों की मुख्य सिफारिशें: निर्धनता और असमानता के विरुद्ध संघर्ष में अनुदान सहायता की अनूठी भूमिका है और इस सहायता की जगह वित्त का कोई अन्य स्रोत नहीं ले सकता और इसलिए ओडीए में किये गये किसी भी सुधार से निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए:

1. ओडीए का केंद्रीय लक्ष्य विकास और निर्धनता उन्मूलन बने रहना चाहिए।
2. ओडीए की परिभाषा में कोई भी सुधार विकास प्रभावकारिता सिद्धांतों के अनुसार होना चाहिए। विशेषकर ओडीए निधि प्रवाहों को पारदर्शी और जवाबदेह होना चाहिए और विकास परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
3. ओडीए रिपोर्टिंग में वास्तविक संवितरण की दृष्टि से विशुद्ध निधि प्रवाह दर्ज हों।
4. ओडीए आरोपित छात्र लागतों, अंतः अनुदाता शरणार्थी लागतों, ऋण राहत और ऋणों पर ब्याज भुगतानों जैसे स्फीतिकारी (इंफ्लेटिड) तत्वों की बजाये सच्चे निधि प्रवाहों को प्रतिबिंबित करे।
5. ओडीए के रूप में सूचित रिआयती ऋणों को अनुदाता के प्रयासों और प्राप्तिकर्ता की लागत दोनों को सटीकता के साथ प्रतिबिंबित करना चाहिए।
6. जलवायु वित्त, और भूमंडलीय सार्वजनिक भलाई के लिए दिये जाने वाले वित्त जो अत्यधिक निर्धनता को समाप्त करने और असमानता से निबटने के लिए महत्वपूर्ण हैं – ओडीए में नये और अतिरिक्त वित्त होने चाहिए।

वॉइस/महासभा 2014 के लिए निमंत्रण

16 सितंम्बर 2014

नागपुर, महाराष्ट्र

वाणी अपने सभी सदस्यों को वार्षिक वॉइस में, जिसका इस वर्ष का विषय होगा – "स्वैच्छिक संस्थाओं और निजी क्षेत्र के बीच विकास साझेदारी में आपसी जवाबदेही" में और इसके बाद 16 सितंबर 2014 को आयोजित अपनी महासभा की बैठक में आमंत्रित करती हैं। सभी सदस्यों से आग्रह किया जाता है किइस वार्षिक सत्र में हमारे साथ शामिल हों और स्वैच्छिक क्षेत्र को मजबूत बनाने में योगदान करें।

वाणी द्वारा स्वैच्छिक संस्थाओं के समर्थकारी वातावरण पर राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन

स्वैच्छिक संगठनों के लिए अनुकूल और समर्थकारी वातावरण बनाने के प्रयास में वाणी ने सिविकस के साथ साझेदारी में एक राष्ट्रीय परामर्श बैठक का आयोजन किया। इसमें स्वैच्छिक क्षेत्र के विकास को पंगु बनाने वाले तथा उसकी कार्यक्षमताओं को रोकने वाले विभिन्न कानूनी प्रावधानों पर चर्चा की गई। परामर्श के दौरान यह आकलन किया गया कि स्वैच्छिक क्षेत्र के प्रतिबंधनकारी और पश्चगामी प्रावधान किस प्रकार के हैं और क्षेत्र को नियमित रूप से किन–किन बाधाओं का सामना करना पड़ता है। यह परामर्श एक उत्तर जनन मैट्रिक्स का परिणाम था जिसे कुछ उत्तरदाताओं के विभिन्न उत्तरों का सर्वेक्षण करके तैयार किया गया।

सत्र समर्थकारी वातावरण उपलब्ध करने के संदर्भ में विभिन्न पहलुओं को लेकर आयोजित किये गये और स्वैच्छिक क्षेत्र के संदर्भ में संक्षेप में विभिन्न अधिनियमों और कानूनों पर विचार किया गया। पूरे परामर्श के दौरान मुख्य विषय था – स्वैच्छिक क्षेत्र के प्रति सरकार की उदासीनता और यह क्षेत्र कैसे भविष्य के कार्य के लिए लामबंदी कर सकता है। इस विशेष बैठक में की गई बहसों और विचार–विमर्शों के मुद्दे थे जो स्वैच्छिक क्षेत्र की कार्यगत क्षमताओं में मुख्य बाधा हैं। पंजीकरण कानून, एफसीआरए कानून और आयकर कानून के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। विभिन्न संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ने अपने अपने अनुभवों के बारे में बताया और सरकार के साथ अपने कार्य के बारे में अपने मत और रायें प्रकट की विभिन्न हलकों से अलग–अलग परिप्रेक्ष्य अभर कर सामने आये। कुछ ने कानूनों की कठोरता को फैलते हुए छोटे संगठनों के लिए वरदान के रूप में लिया जबकि कुछ अन्य ने इनके प्रति अपना विरोध जताया। किन्तु सहमति के रूप में यह विचार सामने आया कि इन कानूनों के प्रतिगामी दृष्टिकोण ने क्षेत्र को लाभ पहुंचाने की बजाये हानि पहुंचाई है।

यह अध्ययन भारत में स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए मौजूद समर्थकारी वातावरण का पता लगने का प्रयास करने वाले विभिन्न संकेतकों पर आधारित मानचित्रण अभ्यास का परिणाम था। ईईएनए संकेतक आईसीएनएल द्वारा तैयार किये गये थे। इन्हें विशेष रूप से कानूनी, राजनीतिक और सामाजिक वातावरणों के परिधि में लेते हुए भारतीय संदर्भ की दृष्टि से तैयार किया गया था।

पंजीकरण: पहले सत्र के दौरान किये गये विचार–विमर्शों में स्वैच्छिक क्षेत्र के सम्मुख उपस्थित विभिन्न पंजीकरण संबंधी मुद्दों पर चर्चा की गई। पंजीकरण के मुद्दे को इन चार भागों में विभाजित किया जा सकता है – स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करना; स्वैच्छिक संस्थाओं की संसाधन जनन क्षमता; निगरानी ढांचे का प्रावधान स्वैच्छिक क्षेत्र की जवाबदेही तथा विश्वसनीयता। सरोकार का मुख्य विषय था – स्वैच्छिक क्षेत्र के पंजीकरण कानून का राज्य सूची के अधीन लाना; जबकि दूसरी दूर निगमित क्षेत्र का कानून संघीय या केंद्रीय सूची के अधीन आता है।

सहभागियों ने राज्य कानून के द्वारा पंजीकरण के लिए चुनौतियां पेशकर के संबंध में विभिन्न कठिनाइयों पर विचार–विमर्श किया। इस संदर्भ में उडीसा का उदाहरण प्रस्तुत किया गया जहां राज्य सरकार ने मनमाने तौर पर स्वैच्छिक संस्थाओं के साथ परामर्श के बिना एक कानून पारित कर दिया है साथ ही, सत्ता का संकेंद्रण उडीसा में जिला कलेक्टर के हाथ में एक हथियार बन गया है। इसी प्रकार का उदाहरण महाराष्ट्र के संबंध में भी प्रस्तुत किया गया जहां गैर–सरकारी संस्थाओं को पंजीकरण सीधे सार्वजनिक परोपकार अधिनियम (पब्लिक चैरिटी एक्ट) के अंतर्गत होता है। यह कार्य बाद के चरणों में बोझिल हो जाता है। संस्थाओं को मंजूरी के चरण पूरे करने में वर्षों लग जाते हैं क्योंकि चैरिटी आयुक्त और रजिस्ट्रार के अधिकारों के बीच दोहराव है। पश्चिम बंगाल में पंजीकरण के दौरान रजिस्ट्रार के पास गैर–सरकारी संस्थाओं के लिए वर्तमान और प्रस्तावित एजेंडा के दो भाग होते हैं। जब संस्था अपने मैमोरेंडम के साथ पंजीकरण कराता है तो वे जांच करते हैं और कार्य के लिए अपना एजेंडा प्रस्तावित करते हैं।

- **वित्तपोषण संबंधी वातावरण:** इस सत्र में विचार–विमर्शों के मुख्य मुद्दे थे – विदेशी निधियां संस्था के एफसीआरए संबंधी सरोकार। यह सत्र इस अर्थ में महत्वपूर्ण था कि सरकार के

साथ स्वैच्छिक संस्थाओं को संबंध विकास में साझेदार की बजाये उप ठेकेदार का हो गया है; विदेशी निधियों के अवसर कम हो रहे हैं और कंपनियों ने निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) निधियों के साथ व्यवसाय जैसे संपर्क विकसित करने शुरू कर दिये हैं। एफसीआरए 2010 को जारी रखना – जोकि विदेशी निधियों के प्रवाह को नियमित करता है – स्वैच्छिक संस्थाओं के अस्तित्व के लिए खतरा है। गैर–सरकारी संस्थाओं को लोगों और उनके संसाधनों को लामबंद करके अच्छा कार्य किया है; पर यह कार्य उन्होंने सरकार के उप ठेकेदार बना कर नहीं किया है। सहभगियों ने इस प्रकार की आशंकाएं भी जताई कि अधिकार आधारित कार्य – जिसमें सरकार की नीतियों को चुनौती देना भी शामिल होता है – निजी वित्त उपलब्ध नहीं हो पायेगा। इसलिए यह आकलन करना जरूरी है कि किस तरह जमीनी स्तर में मानव अधिकार कार्य को वित्तपोषित किया जा सकता है। जन आंदोलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली छोटी जमीनी स्तर की संस्थाओं को सहायता प्रदान करना बड़े भारतीय गैर–सरकारी संस्थाओं की भूमिका फिर से परिभाषित करने की जरूरत है। विशेष कर बोली की या निविदा की प्रक्रिया (बिडिंग प्रोसेस) में छोटी स्वैच्छिक संस्था की दुर्दशा पर भी विचार किया गया। सहभागियों ने आईबी की वर्तमान रिपोर्ट को अनेक आंकड़े और उदाहरण प्रस्तुत करते हुए बेबुनियाद बताया। आईबी की रिपोर्ट के अनुसार गैर सरकारी संगठनों को एफसीआरए के अंतर्गत 10,900 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। यह प्रश्न उठाया गया कि किस तरह 20,000 संस्थाओं को प्राप्त होने वाले 10,000 करोड़ रुपये से देश का विस्थापन किया जा सकता है। सहभागियों ने क्षेत्र की विश्वसनीयता की स्थापित करने के लिए उपयुक्त संस्थागत कायंत्र की स्थापना का मुद्दा भी उठाया। इस संबंध में यह सलाह दी गई कि पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कुछ मॉडल्स तैयार किये जाने चाहिए।

कराधान संबंधी वातावरण: इस सत्र में इस विषय पर ध्यान केंद्रित किया गया कि किस प्रकार एनजीओ शीर्ष के अंतर्गत आने वाली विभिन्न प्रकार की संस्थाओं और संगठनों पर अलग–थलग प्रकार के कर कानून लागू किये जाते हैं।

अधिकतर सहभागियों का कहना था कि देश में आय कर कानून स्वैच्छिक क्षेत्र की वित्तीय स्वायत्तता के खिलाफ जाते हैं। 25 लाख रुपये की आय सीमा और सेवा कर कानून क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता में रुकावट डालते हैं। स्वैच्छिक संस्थाओं को प्रभावित करने वाले विभिन्न आयकर कानूनों में सेवा कर शामिल हैं जो उन स्वैच्छिक संस्थाओं पर लागू होता है जो सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत शामिल कोई सेवा प्रदान करते हैं जैसे कि कंसल्टेंसी सेवा, आदि। एक सामान्य समस्या यह है कि यह अधिकारी गैर–लाभकारी क्षेत्र को नहीं समझते और अक्सर निविदा या बोली लगाने या अनुबंधों (मंट्रेक्ट्स) को लाभकारी व्यवसाय मान बैठते हैं। इस प्रकार संस्थाओं को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस क्षेत्र को एक अलग पहचान प्रदान करने की जरूरत है। समस्या यह भी है कि कर अधिकारी कानून की गलत व्याख्या करते हैं। वे गैर–सरकारी संगठनों के कार्यकलापों को (जो निर्धनों और जरूरतमंद लोगों को रिआयती कीमतों पर सेवा प्रदान करते हैं, जैसे कि निर्धन महिलाओं की स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी स्थिति में सुधार के लिए कम कीमतों पर सेनिटरी नेपकिन उपलब्ध कराना) व्यावसायिक कार्यकलाप मान बैठते हैं और विकास के संदर्भ को नहीं समझ पाते।

सरकार–स्वैच्छिक संस्था संबंध – इस सत्र में हाल में आईबी रिपोर्ट द्वारा उठी गई हाल की जानकारी पर चर्चा की गई। इस रिपोर्ट में गैर–सरकारी संस्थाओं पर यह आरोप लगाया गया है कि वे भारत में आर्थिक विकास में बाधा डाल रही है। इस रिपोर्ट ने संचार माध्यमों में और स्वैच्छिक क्षेत्र के भीतर बहस झेड़ दी और अब इसे स्वैच्छिक क्षेत्र को धमकाने और उसकी आवाज को बंद करने के एक हथियार के रूप में देखा जा रहा है। क्योंकि यह रिपोर्ट सरकार के साथ स्वैच्छिक क्षेत्र के संबंधों को भी सीधे–सीधे प्रभावित करती है, इसलिए इसकी जरा भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। सरकार और स्वैच्छिक क्षेत्र के बीच के संबंध हमेशा एकरूप या एक जैसे नहीं रहे हैं। गैर–सरकारी संगठनों के कुछ हिस्से सरकार के नजदीक रहे हैं, जबकि कुछ हिस्सों का सरकार से संबंध अच्छा नहीं रहा है। फिर भी यह संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है और भारत में व्यापक सामाजिक विकास को ध्यान में रखते हुए इसे पोषित किया जाना चाहिए।

यह रिपोर्ट सीधे–सीधे गैर सरकारी संस्थाओं को अपना निशाना बनाती है। इन संस्थाओं को – जो मुख्यतः अधिकार आधारित कार्य करने वाली संस्थाएं हैं – सरकार की आर्थिक विकास परियोजनाओं के लिए खतरा माना जाता है। सहभागियों का यह भी मानना है कि गैर–सरकारी संस्थाओं के प्रति संचार माध्यमों में जो नकारात्मक सोच है उससे स्वैच्छिक क्षेत्र को हानि पहुंची है। जब नकारात्मक रिपोर्टिंग के बारे में सुझाव मांगे गये तो सहभागियों का कहना था कि क्षेत्र के बारे में नकारात्मक रिपोर्टिंग का मुकाबला पारदर्शिता और जवाबदेही के मानदंडों का पालन करके ही किया जा सकता है। इस बात पर बल दिया गया कि स्वैच्छिक संस्थाओं को वेबसाइट पर अपने पूरे लेखा विवरण और ऑडिट रिपोर्ट को अपलोड करना चाहिए। सहभागियों द्वारा दिये गये एक सुझाव में इस बात पर बल दिया गया कि सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के साथ संवाद की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए ताकि स्वैच्छिक क्षेत्र की स्पष्ट तस्वीर सामने आ सके।

स्वैच्छिक क्षेत्र के योगदान

— नई सरकार से सहायता से

प्रस्तावना:
जैसे–जैसे नई सरकार के सत्ता में तीन वर्ष पूरे होने को आये हैं, विभिन्न क्षेत्र सरकार के कार्यकलापों नजदीकी से नजरें टिकाये हैं। ऐसा इसलिए भी है कि एनडीए के नेतृत्व वाली सरकार के बारे में मिलेजुले और अलग–अलग विचार मौजूद रहे हैं। जहां एक हिस्सा उसकी अतीत की कार्रवाइयों की वजह से मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना कर रहा है, वहीं कई हिस्से इस सरकार के वायदों में विश्वास करते हैं और उनका मानना है कि एक उग्र और सक्रिय नेता भारत को उसकी सामाजिक–आर्थिक राजनीतिक और सांस्कृतिक समृद्धि की ओर वापस ले जा सकता है। यह तथ्य है कि विभिन्न सामाजिक आर्थिक तबकों के लोगों ने बड़ी संख्या में 2014 के लोक सभा चुनावों में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के लिए मतदान किया है तो इस बात की पुष्टि करता है कि नई सरकार कम से कम 5 वर्ष तक बनी रहेगी और वह अपने वायदों को पूरा करती है तो इससे लम्बे समय तक भी बनी रह सकती है।

अपने सपनों को साकार करने के लिए उसे और कार्यों के अलावा विभिन्न क्षेत्रों में और अधिक भागीदारी की जरूरत होगी जैसा कि मोदी सरकार ने एक भारत – श्रेष्ठ भारत पर बल देते हुए परिकल्पना की है। स्वैच्छिक क्षेत्र सरकार के सामाजिक विकास स्वप्नों को हासिल करने में काफी बड़ी भूमिका निभाता है और उसने अनेक नवाचारपूर्ण मॉडल तैयार किये हैं जिन्हें विभिन्न सरकारों के अंतर्गत विस्तारित किया है। इस संबंध में कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं: सूचना का अधिकार, ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम, सार्वजनीन स्वास्थ्य, आदि। पर इस क्षेत्र के सरकार के साथ हमेशा से मिले जुले संबंध रहे हैं – कभी अच्छे, तो कभी बुरे। यदि हम इस संबंध के नकारात्मक पक्ष को देखें तो यह मुख्यतः स्वैच्छिक विकास क्षेत्र की जटिलता और वास्तविकता को समझने से सरकार द्वारा इन्कार करने पर आधारित रहा है। कारण यह कि एक ही प्रकार के पंजीकरण कानून विभिन्न धर्म आधारित संगठनों, सामाजिक आंदोलनो, फाउंडेशनों आदि पर लागू किये जाते हैं। पिछले एक दशक के दौरान संसाधन उपलब्धता के परिदृश्य में जबर्दस्त बदलाव आया है। सरकार के साथ विकास क्षेत्र में उसके संबंध **"विकास में साझेदार"** से बलदकर **"उप–ठेकेदार"** के संबंध हो गये हैं।

किसी भी सफल जनतंत्र में आम लोगों के जो दो महत्वपूर्ण शक्तियां होती हैं, वे हैं – जन सहभागिता और विरोध का अधिकार। किसी भी जनतांत्रिक ढांचे में किसी भी सरकार को इन अधिकारों पर अंकुश नहीं लगाना चाहिए। यही जनतंत्र की शक्ति है क्यों उसकी ताकत मुख्यतः उसके लोग और उनकी आवाज है। भारत में स्वैच्छिक क्षेत्र देश के जनतांत्रिक ढांचे को समर्थ बनाता है और राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका अदा करता है। इस आलेख का उद्देश्य उन विभिन्न मुद्दों के संबंध में है जो वर्तमान सरकार के प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्र हैं – स्वैच्छिक क्षेत्र के योगदान को उजागर करता है। इसमें स्वैच्छिक क्षेत्र के नई सरकार के साथ प्रभावकारी संपर्क की जरूरत पर बल दिया गया है। भारत में स्वैच्छिक संगठनों की शीर्ष संस्था होने के नाते वाणी का मानना है कि इस क्षेत्र में जन–केंद्रित विकास को आगे बढ़ाने की क्षमता है पिछली सरकार के शासन के अंतर्गत इन विकास की संभावनाओं पर अंकुश लगाया गया था, उन्हें नियंत्रित किया गया था। तो इस तरह भारत की 100 करोड़ 20 लाख की आबादी के सपने को पूरा करने में इस नई सरकार से नई साझेदारी और सहायता की मांग की जा रही है।

एनडीए की प्राथमिकता के मुख्य क्षेत्र

भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी ने 9 जून 2014 को संसद के संयुक्त सत्र में दिये गये अपने अभिभाषण में वर्तमान सरकार की मुख्य विकास कार्यावली को पुनः प्रस्तुत किया था। राष्ट्रपति के अनुसार एक राजनीतिक पार्टी के पक्ष में 30 वर्ष के अंतराल के बाद स्पष्ट जनादेश प्राप्त हुआ है और यह सुशासन के माध्यम से विकास के विचार पर आधारित है। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति महोदय ने विकास के जिन मुख्य क्षेत्रों का उल्लेख किया वे भारत में स्वैच्छिक क्षेत्र में कार्य के भी मुख्य क्षेत्र हैं। अगले भाग में इनके बारे में विस्तार से बताया गया है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र इस प्रकार हैं:

- भारत के लोगों के लिए यह सुनिश्चित करना कि निर्धनता धर्म या भूगोल पर आधारित नहीं, पर इसे केवल कम करने की नहीं, बल्कि इसका उन्मूलन करने की जरूरत है।

- विशाल युवा आबादी को भारत का महत्वूपर्ण संसाधन आधार मानना। एनडीए ने युवा नेतृत्व वाले विकास की जरूरत पर बल दिया है। साथ ही सरकार का उद्देश्य देश के युवाओं के बीच औपचारिक शिक्षा और कौशल विकास की बाधाओं को दूर करने के लिए एक राष्ट्रीय बहु कौशल मिशन शुरू करना है।

- सरकार ने सार्वजनीन रूप से सुलभ, कम लागत वाली और प्रभावकारी स्वास्थ्य देखरेख प्रणाली स्थापित करने की ओर कदम उठाने का फायदा किया है। राष्ट्रपति ने आश्वासन दिया

है कि पेशेवर स्वास्थ्य देखरेख कर्मियों की कमी को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति और राष्ट्रीय स्वास्थ्य आश्वासन मिशन की स्थापना की जायेगी।

- सरकार ने वायदा किया है कि वह एक ऐसा समर्थकारी वातावरण तैयार करने की दिशा में कदम उठायेगी जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और कमजोर तबकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करने में सहायक होगी।

- नई सरकार की एक दूसरी मुख्य कार्यावली है – महिलाओं का सशक्तीकरण। उसमें बालिकों की रक्षा करने और उन्हें शिक्षा हासिल करने में समर्थ बनाने पर बल दिया गया है। साथ ही इसके अंतर्गत संसद और विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत के आरक्षण की वचनबद्धता भी की गई है।

स्वैच्छिक संस्थाओं के पदचिन्ह पूरे राष्ट्र में देखें जा सकते हैं। वे सीमित संसाधनों के साथ दुर्गम और कठिन क्षेत्रों में काम करते हैं, पर निर्धन, सीमांतीकृत और जरूरतमंद आबादी के विशाल हिस्सों की जरूरतों को पूरा करते हैं। यह जन सहभगिता और जन केंद्रित विकास को प्रोन्नत करने के प्रति इस क्षेत्र के विश्वास और प्रतिबद्धता की वजह से भी संभव हुआ है। हमारे राष्ट्र के सामाजिक विकास में इस क्षेत्र की प्रमुख भूमिका रही है, पर उसे सरकार की ओर से सहायता और नियमनकारी कार्रवाइयों की जरूरत हैं।

निम्नलिखित तालिका स्वैच्छिक क्षेत्र में योगदानों की एक झांकी प्रस्तुत करती है। जिनका वर्तमान सरकार स्वैच्छिक क्षेत्र के साथ प्रभावकारी संपर्क और संबंध विकसित करने के एक कदम के रूप में विस्तार कर सकती है:

तालिका 1 – सरकार की प्राथमिकता के मुख्य क्षेत्र और स्वैच्छिक संस्थाओं का योगदान

क्रमांक	सरकार की प्राथमिकता के क्षेत्र	विवरण
1	निर्धनता–उन्मूलन *निर्धनता में कमी से हट कर निर्धनता के उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित करना*	• निर्धनतम लोगों और सरकार के बीच सेतु का काम करना। सेवा प्रदायगी और निर्धनों का समग्र सामाजिक–आर्थिक विकास – ये दो मुख्य भूमिकाएं निभाईं। • निर्धन और सीमांतीकृत लोगों के साथ कार्य करते हुए उन्हें गरीबी के चंगुल से निकालने के लिए उनकी क्षमताओं का निर्माण किया। • स्वैच्छिक संस्थाओं ने टिकाऊ आजीविकाओं को प्रोन्नत किया। • निर्धनता में कमी लाने के लिए वन आधारित आजीविका, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, कृषि उत्पादकता विस्तार, पशु धन विकास में स्वैच्छिक संस्थाओं का योगदान। • छोटे पैमाने के उद्यमों और ग्रामीण बैंक मॉडल सहित सूक्ष्म वित्त को प्रोन्नत किया। • स्वैच्छिक संस्थाओं ने निर्धनों को तत्काल राहत प्रदान करके विपदाओं के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
2	युवा विकास	• अधिकतर स्वैच्छिक संस्थाएं युवाओं की भूमिका को स्वीकार करती हैं और उनके स्व–विकास के लिए उन्हें विकास परामर्श और क्षमता–निर्माण की प्रक्रिया में शामिल करती हैं। • सक्रिय युवा नागरिकता को प्रोन्नत करना, जीवन कौशल प्रशिक्षण, जेंडर और और अभिशासन पर जागरूकता युवाओं के साथ कार्य के ये मुख्य क्षेत्र रहे हैं। • शहरी युवाओं का ग्रामीण क्षेत्रों और ग्रामीण युवाओं का शहरी क्षेत्रों से संपर्क कराने से दोनों के बीच का अंतर कम हुआ है।

क्रमांक	सरकार की प्राथमिकता के क्षेत्र	विवरण
		• इस क्षेत्र ने वालंटियरिंग, यानी स्वयंसेविता की अवधारणा को प्रोन्नत किया है और इसके फलस्वरूप युवाओं को राष्ट्र निर्माण के कार्य में सक्रियता से संलग्न किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय वालंटियरों को भी प्रोत्साहन दिया जाता है। • स्वैच्छिक क्षेत्र ने कौशल प्रशिक्षण और कार्यान्वयन के लिए विषयगत आधार पर विभिन्न युवा समूहों को प्रोत्साहन और साहयता प्रदान की है। इससे कौशल विकास, हमजोली शिक्षण, सामाजिक विकास के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने में मदद मिली है।
3	सार्वभौम रूप से सुलभ, उचित लागत वाली और प्रभावकारी स्वास्थ्य देखरेख प्रणाली	• बेहतर स्वास्थ्य के संबंध में जागरूकता फैलाने और शिक्षित करने के लिए आशा कार्यकर्ताओं, एएनएम, अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और पंचायतों का प्रशिक्षण। • स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए निर्धन और सीमांतीकृत लोगों के बीच जागरूकता फैलाना और स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार लागू करना। • स्वास्थ्य को लेकर काम करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं ने दूर–दराज के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में गृह–आधारित देखरेख प्रदान करने के लिए स्थानीय लोगों और समुदाय–आधारित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को तैयार किया और प्रशिक्षण दिया है। • स्वास्थ्य पर कार्य के मुख्य विषयगत क्षेत्र इस प्रकार हैं– प्रजनन और बाल स्वास्थ्य, किशोर–किशोरियों का यौन स्वास्थ्य और परिवार नियोजन। • प्रभावकारी और सक्षम स्वास्थ्य देखरेख प्रणाली के साथ आदर्श गांवों और जिलों का विकास। स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए मोबाइल क्लीनिक। • भारत में गतिशील स्वास्थ्य नियोजन और कार्यक्रम प्रबंधन के लिए जन–केंद्रित नीतियों की पैरवी
4	बच्चों, वृद्धों और विकलांगों की सामाजिक सुरक्षा	• अकेले और असुरक्षित बच्चों, वृद्धों और विकलांगों के लिए आवास गृह बनाये गये हैं। • बच्चों, वृद्धों और विकलांगों के अधिकारों के बारे में जागरूकता और एडवोकेसी • बेसहारा/अकेले बच्चों और विकलांगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण और परामर्श। • जोखिम वाले उद्दयोगों में काम करने वाले अस्थायी श्रमिकों के बच्चों के लिए सचल शिशुशालाएं। इनमें दिवसकालीन देखरेख और अनौपचारिक शिक्षा की सुविधाएं भी हैं। • वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम, मुख्य धाराकरण और व्यावसायिक कौशल प्रषिक्षण के माध्यम से आर्थिक सशक्तीकरण • कार्य–आधारित बच्चों, वृद्धों और विकलांगों से संबंधित मुद्दों पर कार्य–आधारित शोध और एडवोकेसी

क्रमांक	सरकार की प्राथमिकता के क्षेत्र	विवरण
5	महिला सशक्तीकरण	• राजनीतिक नेतृत्व, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न आदि पर महिलाओं के लिए बड़ी संख्या में क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम। इनमें महिलाओं को सरकारी योजनाओं और नीतियों के बारे में जानकारी भी की जाती है। • जेंडर के मुद्दों को हल करने के लिए महिला नेटवर्कों की स्थापना करना और उन्हें सहायता प्रदान करना। इसका एक उदाहरण हरियाणा में प्रिया द्वारा स्थापित "बेटी बचाओं समूह" है। • अर्ध–कानूनी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देकर न्याय तक पहुंच को बढ़ाना। इन्हें सामाजिक–कानूनी मुद्दों, मूलभूत और संवैधानिक आधिकारों, आरटीआई आवेदन लिखने, मुफ्त कानूनी सहायता, महिलाओं के विशेष अधिकारों के बारे में सघन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। • जेंडर–आधारित भेदभाव पर पुरुषों और महिलाओं, दोनों को जागरूक बनाने के लिए जेंडर संबंधी मुद्दों पर रचनात्मक सामग्री तैयार करना और उसका वितरण करना। • कार्यक्रमों और नीतियों में जेंडर बजटिंग तथा ऑडिट्स। • महिला अधिकारों और जेंडर समानता पर एडवोकेसी का कार्य।

स्वैच्छिक क्षेत्र को सहायता प्रदान करना

भारत का स्वैच्छिक क्षेत्र विशाल और विविधतापूर्ण है जिसमें फाउंडेशनें, धार्मिक संगठन, सामाजिक आंदोलन, विकास संस्था सभी शामिल हैं। पहचान और कार्य का दायरे में विविधता उन स्वैच्छिक संस्थाओं के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है जो निर्धन और सीमांतीकृत लोगों के विकास के लिए कार्य करती हैं क्योंकि उन्हें भी उसी नजर से देखा जाता है जिस नजर से दूसरी संस्थाओं को। देश के निर्धनतम लोगों के जीवन में सुधार में स्वैच्छिक विकास संगठनों के योगदान को मान्यता देना आवश्यक है। इस क्षेत्र ने जो नवाचारपूर्ण प्रयोग किये हैं उनका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रूप से विस्तार किया गया है, फिर भी भारत में आज यह क्षेत्र संकट जैसी स्थिति से गुजर रहा है। यह आवश्यक है कि इस क्षेत्र को सरकार से निम्नलिखित प्रकार की सहायता प्राप्त हो:

- सवाल पूछने के अधिकार और एडवोकेसी (पैरवी) – आधारित कार्य करने के अधिकार के साथ स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में स्वैच्छिक संस्थाओं को मान्यता देना। स्वैच्छिक क्षेत्र द्वारा किये जाने वाले सतर्कता कार्यों को सकारात्मक रूप में देखा जाना चाहिए क्योंकि इनसे निर्धन समर्थक और शीघ्र कदमों के साथ अभिशासन के कार्यतंत्रों में सुधार करने में मदद मिलेगी।

- स्वैच्छिकवाद या स्वयंसेविता और गैर–लाभकारी कार्य के मूल्यों पर फिर से बल देने के उद्देश्य से निगमित निकायों से निकली संस्थाओं को अलग करके इस क्षेत्र को अलग पहचान प्रदान करना।

- संचालन समिति की 2012 के मार्गनिर्देशों के आधार पर – जो केवल भारत में स्वैच्छिक संस्थाओं के मुद्दों से संबंधित हैं – स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए एक निगमनकारी निकाय या अलग मंत्रालय की स्थापना करने की जरूरत है।

- राष्ट्रीय स्तर पर स्वैच्छिक संस्थाओं नवाचारपूर्ण मॉडलों और पद्धतियों का विस्तार करना।

- विदेशी निधियों के कम हो जाने के कारण विकास कार्यकलापों को जारी रखने में स्वैच्छिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

- विकास के तीन स्तंभों – यानी सरकार, निजी क्षेत्र और स्वैच्छिक क्षेत्र को एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करते हुए, आपसी संबंधों को मजबूत बनाते हुए, एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता करने की बजाये एक दूसरे को पूरित करते हुए कार्य करने की जरूरत है। विकास कार्यों को जारी रखने के लिए सरकार की ओर से स्वैच्छिक क्षेत्र को मान्यता और स्थान दिया जाना चाहिए।

– निशु कौल, वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी, वाणी ।

भारत में गैर–लाभकारी क्षेत्र के लिए बजट 2014 के निहितार्थ

—नोशिर एच दादरावाला (सीईओ – सेंटर फॉर एडवांसमेंट ऑफ फिलांथ्रॉपी)

अपने वर्ष 2014–15 के बजट में वित्त मंत्री अरुण जेतली ने आय कर कानून में अनेक बदलाव प्रस्तावित किये है।। इन पर व्यापक रूप से चर्चा की गई है। किंतु वित्त विधेयक 2013 का भारत के गैर–लाभकारी क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा है?

1. निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

आइए शुरूआत उस बात से करते हैं जिससे हर किसी को सबसे अधिक सराकार है – सीएसआर व्यय में कटौती।

वित्त मंत्री ने प्रस्तावित किया है कि करदाता द्वारा किये गये सीएसआर व्यय को भाग 37 के अंतर्गत कटौती नहीं माना जायेगा। किंतु यदि सीएसआर व्यय उसी प्रकार का है। तो शर्तों के पूरा होने के अधीन उन भागों के अंतर्गत कटौती की अनुमति दी जायेगी। इन प्रावधानों को वित्त (संख्या 2) अधिनियम 2014 के पारित होने के बाद "परोपकारी संस्था संदर्भ" में शामिल किया जायेगा।

दूसरे शब्दों में, कंपनियों द्वारा सार्वजनिक कल्याण व्यय वाले केवल कुछ ही कार्यकलाप कर लाभ के योग्य होंगे। वित्त मंत्री ने यह माना है कि समस्त प्रकार के सीएसआर कार्य के साथ एक ही तरह का व्यवहार नहीं किया जा सकता।

वित्त मंत्री का कहना था कि "क्योंकि आय की प्रयोज्यता (एप्लीकेशन) को किसी कंपनी की कर–योग्य आय का आकलन करने के उद्देश्य के लिए कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाती, इसलिए सीएसआर पर व्यय राशि को कंपनी की कर योग्य आय के आकलन के लिए कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने आगे इस बात पर बल दिया कि सीएसआर का लक्ष्य सामाजिक युवा प्रदान करते हैं सरकार के बोझ को कम करना है। अगर ऐसे व्यय पर कर कटौती की अनुमति दी जाती है तो इसका परिणाम यह होगा कि कर व्यय के रूप में सरकार द्वारा ऐसे खर्चों के लगभग एक तिहाई को सब्सीडी के अंतर्गत लाना होगा।

क्योंकि आय का प्रयोज्य (एप्लीकेशन) होने के कारण सीएसआर व्यय व्यवसाय के उद्देश्य से खर्च नहीं किया जाता, इसलिए इस व्यय को आय कर कानून के भाग 37 के वर्तमान प्रावधानों के अंतर्गत अनुमति नहीं दी जा सकती। इस भाग के अंतर्गत विशेषकर इस कानून के भाग 30 और 36 में उल्लिखित न किये गये किसी व्यय के लिए कटौती की अनुमति दी जा सकती है, यदि उसे पूरी तरह और वेल व्यवयाय या पेशे के उद्देश्य से खर्च किया जाये।

किन्तु आय कर कानून के भाग 30 और 36 में प्राविधित कुछ

परियोजनाएं ही कर लाभों के योग्य होंगी। वित्त मंत्री ने झोंपड़पट्टी विकास को भी सीएसआर के दायरे में शामिल किया है।

1 भाग 10 के अंतर्गत छूट वाली आय को आयकर की छूट से हटाना

यह प्रस्तावित किया गया है कि जिन परोपकारी संस्थाओं का भाग 12 एए/12 ए के अंतर्गत पंजीकरण हो रखा है उन्हें भाग 10 के अंतर्गत छूट नहीं मिलेगी (भाग 10–23 सी के अंतर्गत छूट या कृषि आय के अलावा)। इस प्रकार ऐसी आय संस्था की अन्य आय में शामिल हो जायेगी।

इस प्रकार अब तक भारत के न्यायालयों ने यह माना है कि परोपकारी संस्थाएं भाग 10 (उदाहरण के लिए कृषि आय, डिविडेंट आय, आदि) के अंतर्गत छूट की हकदार हैं) चाहे यह आय भाग 11 से 13 के अंतर्गत छूट प्राप्त हो या नहीं हो।

1. कुछ मामलों में मूल्य ह्रास में कटौती को वापस लेना

किसी भी ऐसी संस्था को जिसे आय की प्रयोज्यता के रूप में परिसंपत्ति की पूरी लागत की अनुमति है उसकी आय के अभिकलन में मूल्य–ह्रास के मामले में और अधिक कटौती की अनुमति नहीं होगी।

अब तक न्यायालयों का प्रमुख विचार यह रहा है कि परोपकारी संस्था अपनी आय के अभिकलन में मूल्य ह्रास की कटौती की हकदार है चाहे उसे आय की प्रयोज्यता के रूप में परिसंपत्ति के अधिग्रहरण पूरी लागत की अनुमति ही क्यों न दी गई हो।

1. कुछ मामलों में परोपकारी संस्था के पंजीकरण को रद्द करना

किसी भी ऐसी संस्था के पंजीकरण को रद्द किया जा सकता है यदि यह पाया गया हो कि उसने भाग 13 का उल्लंघन किया है, यानी–

i) उसकी आय आम जनता का लाभ सुनिश्चित न करती हो;

ii) किसी विशेष धार्मिक समुदाय या जाति के लाभ के लिए हो (यदि यह अधिनियम के लागू होने के बाद प्रमाणित होता है)।

iii) ट्रस्ट की किसी आय, आय या संपदा को विशेष व्यक्तियों के लाभ के लिए उपयोग में लाया जाता है (जैसे कि ट्रस्टी, आदि); या

iv) उसकी निधियों का निवेश निषिद्ध साधनों में किया गया हो

किंतु पंजीकरण तब रद्द नहीं होगा जब यह सिद्ध हो जाता है कि उक्त रूप से कार्यकलाप चलाने के उचित कारण मौजूद थे। प्रावधान एक अक्टूबर 2014 से प्रभावी होगा।

अब तक परोपकारी संस्थाओं का पंजीकरण इन दो परिस्थितियों में ही रद्द होता था –

क) ट्रस्ट संस्था की गतिविधियां सच्ची न होना; या

ख) कार्यकलापों को ट्रस्ट या संस्था के लक्ष्यों के अनुसार आयोजित न करना।

1. *परोपकारी संस्था को प्रदान किये गये पिछले वर्षों के पंजीकरण की प्रयोज्यता*

एक अक्टूबर 2014 से जब संस्था को पंजीकरण प्रदान किया गया है तोः

क) भाग 11 और 12 के लाभ किसी भी पिछले आकलन वर्ष के लिए उपलब्ध होंगे, यदि

i) ऐसे पंजीकरण की तिथि के समय कर आकलन अधिकारी से सामने ऐसे वर्ष के लिए कर आकलन कार्यवाही लंबित हो।

ii) कथित कर आकलन वर्ष में संस्था के लक्ष्य और कार्यकलाप वही हों जिनके आधार पर ऐसा पंजीकरण किया गया हो।

क) पहले आकलन वर्ष – जिसके लिए पंजीकरण लागू होता है के पिछले किसी आकलन के लिए भाग 147 के अंतर्गत कर आकलन के लिए भाग 147 के अंतर्गत कर आकलन को फिर से नहीं खोला जायेगा – मात्र इस कारण से कि संस्था ने उक्त आकलन वर्ष के लिए 12एए के अधीन पंजीकरण प्राप्त किया है।

उक्त लाभ किसी ऐसी संस्था को प्राप्त नहीं होंगे जिसके

क) पंजीकरण के आवेदन को भाग 12एए के अधीन अस्वीकार कर दिया हो।

ख) जिसका पंजीकरण होने के बाद उसे रद्द कर दिया गया हो।

अब तक ट्रस्ट और संस्था केवल वित्त वर्ष के पहले दिन से अधिनियम के भाग 11 और 12 के अंतर्गत कर छूट का दावा कर सकती थी। इस तरह पिछले वर्षों की उसकी आय के मामले में उसे भाग 11 के अधीन कर से छूट नहीं मिलती थी।

1. *अज्ञात दान (भाग 115 बीबीसी)*

देय आय कर निम्नलिखित का योग होगाः

क) i) करदाता द्वारा प्राप्त कुल दानों के 5 प्रतिशत से अधिक होने पर या (ii) एक लाख रुपये (जो भी अधिक हो) से अधिक होने पर 30 प्रतिशत

ख) कुछ आय पर अज्ञात दान को घटाने पर आय कर की राशि जिस पर 30 प्रतिशत कर प्रभारित होगा।

आय कर कानून के वर्तमान प्रावधानों के अंतर्गत किसी परोपकारी संस्था द्वारा अज्ञात दान प्राप्त करने के मामले में देय आय कर निम्नलिखित का योग होगा –

क) i) करदाता द्वारा प्राप्त कुल दानों के 5 प्रतिशत से अधिक होने पर या (ii) एक लाख रुपये (जो भी अधिक हो) से अधिक होने पर 30 प्रतिशत

ख) कुछ आय पर अज्ञात दान को घटाने पर आय कर की राशि जिस पर 30 प्रतिशत कर प्रभारित होगा।

आय कर कानून के वर्तमान प्रावधानों के अंतर्गत किसी परोपकारी संस्था द्वारा अज्ञात दान प्राप्त करने के मामले में देय आय कर निम्नलिखित का योग होगा – ख) अज्ञात दान की पूरी राशि घटाने पर कुल आय पर आय कर की राशि स्पष्ट रूप से वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित कुछ बदलावों के भारत की परोपकारी संस्थाओं के लिए दीर्घकालिक परिणाम होंगे।

<u>उदाहरण के लिए</u>

क) कुल आय	1,00,00,000 रुपये
ख) प्राप्त किये गये अज्ञात दानों की कुल राशि	40,00,000 रुपये
ग) प्राप्त किये गये कुल दान	60,00,000 रुपये
घ) कुल दानों का 5 प्रतिशत	3,00,000 रुपये
ड) कटौतियां (डी या एक लाख, जो भी अधिक हो	3,00,000 रुपये
च) भाग 115 बीबीसी के अधीन कर वाली राशि 30 प्रतिशत (बी–ई)	37,00,000 रुपये
छ) सामान्य कर के अधीन आने वाली आय (ए–बी)	63,00,000 रुपये
ज) अज्ञात दानों पर कर की राशि 30 प्रतिशत (एफ 30 प्रतिशत)	11,10,000 रुपये

जनतांत्रिक भारत को असहमति से निबटने में परिपक्वता दर्शानी चाहिए

—सुभाष मित्तल, चार्टेड एकाउंटेंट और सचिव, सोशिओं रिसर्च रिफार्म फाउंडेशन, नई दिल्ली

पिछले लगभग एक सप्ताह से मुद्रित और इलैक्ट्रानिक दोनों प्रकार के संचार माध्यमों में लगातार इस प्रकार की खबरें आ रही हैं कि किस तरह भारतीय गैर–सरकारी संस्थाएं आर्थिक विकास की गति को धीमा करके भारतीय अर्थव्यवस्था की तोड़–फोड़ करने में जुटी हैं, मानो कि वे नयी राजनीतिक व्यवस्था की जयचंद हों। इनमें से अधिकतर रिपोर्टें आईबी की गुप्त रिपोर्ट पर आधारित हैं (यह रिपोर्ट केवल गैर–सरकारी संगठनों के लिए गुप्त लगती हैं और इसे खुल कर संचार माध्यमों को उपलब्ध कराया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस प्रचार अभियान का उद्देश्य इन मुद्दों पर बहस या विचार–विमर्श को जन्म देना नहीं है, बल्कि गैर–सरकारी संस्थाओं के खिलाफ एक नकारात्मक वातावरण तैयार करना है। यह रिपोर्ट यह भविष्यवाणी तक करती है कि आने वाले वर्षों में गैर–सरकारी संस्थाएं इलैक्ट्रानिक कचरे आदि के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को लक्ष्य बना कर अर्थव्यवस्थों को और भी धीमा बना देंगी। इस प्रकार इन गैर–सरकारी संस्थाओं को देश के विरुद्ध कार्य करने वाले राष्ट्र विरोधी तत्व बताया गया (अभियान बस उन्हें जासूस कहते–कहते रुक गया। पर इन गैर–सरकारी संस्थाओं पर कानून तोड़ने का आरोप नहीं लगाया गया है।

यहां संक्षेप में यह बताना उचित होगा कि विदेशी अनुदानों को विनियमित करने वाला कानून, यानी विदेशी अनुदान नियमन कानून, 2010 (संक्षेप में एफसीआरए) किस प्रकार से कार्य करता है। कोई भी गैर–सरकारी संस्था केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना/पंजीकरण के बिना विदेशी निधियां प्राप्त नहीं कर सकती। सरकार से इस प्रकार की अनुमति या पंजीकरण करना कोई आसान काम नहीं है। अंतहीन समय तक इंतजार करना पड़ता है। अक्सर ऐसी कोई जानकारी नहीं दी जाती कि अनुमति देने या पंजीकरण करने में क्यों विलंब हो रहा है। हालांकि कानून के अनुसार 90 दिनों के भीतर अनुमति देने का प्रावधान है; पर अगर कोई सौभाग्यशाली है तो उसे 6 महीने से लेकर एक वर्ष के भीतर अनुमति प्रापत हो जाती है। सामान्य रूप से देखें तो इस संबंध में कोई मानदण्ड नहीं हैं और अंतहीन समय तक विलंब का कारण जाने बिना इंतजार करना पड़ता है। अक्सर दो वर्ष या उससे भी अधिक समय से आवेदन करने पर भी अनुमति नहीं मिलती। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि पिछले एफसीआरए में सरकार के लिए 120 दिनों के अंदर अनुमति जारी करना आवश्यक था और उसके बाद अनुमति न मिलने पर यह माना जाता था कि अनुमति प्रदान करने से इंकार कर दिया गया है। न्यायालयों ने भी इस प्रावधान को कायम रखा था (सर्वजीवन उन्नति बोधिनी बनाम सचिव, भारत सरकार, 2011) पर 2011 में सरकार ने जवाबदेही के इस कदम को हटा दिया। यह उल्लेखनीय है कि पंजीकरण की अनुमति केवल आवेदन से प्राप्त नहीं होती थी, आई बी के अधिकारी आकर निरीक्षण करते थे। उक्त के अलावा इन दिनों प्रस्तावों के बारे में संबंधित मंत्रालयों से जानकारी मांगी जाती है जिससे अनुमति की प्रक्रिया और भी लंबी हो जाती है।

यहां यह बात उल्लेखनीय है कि इस प्रकार के विलंबों की वजह से विदेशी अनुदानकर्ता दूसरी ऐसी गैर–सरकारी संस्था से संपर्क कर लेते हैं जिसका पहले से एफसीआरए पंजीकरण हो चुका होता है; यहां तक कि वे दूसरे देशों में चले जाते हैं जिससे सामाजिक उद्देश्य के लिए विदेशी निधियों से देश हाथ धो बैठता है। यह भली भांति ज्ञात है कि विदेशी अनुदानकर्ता अब भारत को अनुदान देने के लिए सबसे कम आकर्षक देश मानते हैं जिसका कारण यहां मौजूद लालफीताशाही है। अनेक अनुदानकर्ता एजेंसियों ने भारत से अपना कामकाज समेट लिया है और वे भारत के विकास क्षेत्र से दूर हट गई है। यह भारत के सामाजिक क्षेत्र की सीधी क्षति है। गृह मंत्रालय के अधिकारियों को ज्ञात नहीं होगा कि जो बताते हैं कि किस तरह भारत का सामाजिक क्षेत्र परोपकारिता (सीधे लाभ प्रदान करना) से हट कर अधिकार–आधारित सहायता के चरण में पहुंच गया है। इन घटनाक्रम के योगदान को नकारा

नहीं जा सकता। इनमें से कई घटनाक्रम को भारत सरकार ने स्वीकार किया और अपनाया है। इसीलिए आज हमारे पास सूचना अधिकार है; शिक्षा का अधिकार और भोजन का अधिकार है।

ऐसा नहीं कि गैर–सरकारी संस्था को एक बार अनुमति मिल जाये तो वह बिना बाधा के स्वतंत्र रूप से काम कर सकती हैं। उनकी लगातार मॉनीटरिंग की जाती है उन्हें रिटर्न की ऑनलाइन और हस्ताक्षरित प्रतियां और आडिटिड लेखा, बैंक विवरण सहित अनेक दस्तावेज जमा करने होते हैं।

एफसीआरए के भाग 5.3 में कुछ लोगों को विदेशी निधियां प्राप्त करने से वर्जित किया गया है। तर्क यह है कि देश के निर्णयकर्ता, नीति–निर्माता जैसे कि विधायक, सांसद, राजनीतिक दल, न्यायाधीश, सरकारी कर्मचारी विदेशी निधियां प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि वे निर्णय प्रक्रिया अंतर्गत टीवी और समाचार पत्रों को (जो अन्यथा 20 प्रतिशत एफडीआई प्राप्त कर सकते हैं जिसे अरविंद मरियम समिति ने 49 प्रतिशत तक बढ़ाना प्रस्तावित किया है) विदेशी अनुदान प्राप्त करने की अनुमति नहीं है।

गृह मंत्रालय ने इस निषेध को कभी भी समाचार माध्यमों पर लागू नही किया क्योंकि वह उनकी जवाबी प्रतिक्रिया से काफी डरती है। यहां तक कि पत्रकारों और कार्टूनिस्टों को भी विदेशी निधियां प्राप्त करना वर्जित किया गया। गृह मंत्रालय संचार माध्यमों और पत्रकारों से डरता है कि वे टीवी चैनलों और प्रकाशनों के माध्यम से देश की नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं हालांकि इस संबंध में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया गया है।

हाल की आईबी रिपोर्ट इस भय को नये स्तर पर ले आई है। लगता है अब सरकार बहसों और विरोधों से भी डर रही है। एसीआर 1970 में चिली में कथित रूप से सीआइए द्वारा कराये गये तखतापलट की पृष्ठभूमि 1970 के दशक में अस्तित्व में आया था। इससे भारत सहित विश्व के अनेक देशों में हलचल मच गई। अनेक सांसदों ने इस पर चिंता जताई और यहां तक कि तत्कालीन उप गृह मंत्री ने संसद में एफसीआरए पर विचार–विमर्श करते समय इसका संदर्भ दिया। किन्तु वर्ष 2014 साठ के दशक का उत्तरार्ध या स्तर के दशक का आरंभिक वाला दौर नहीं तब भारत नया–नया जनतंत्र था। आज हमारे जनतंत्र की ताकत और हमारे संचार माध्यमों की दृढ़ता विश्व के लिए ईर्ष्या का विषय है और वे किसी भी प्रकार के बाहरी दबाव को झेल सकते हैं। जनतंत्र की परिपक्वता का अनुमान तब लगता है जब देश सभी मुद्दों पर खुले विचार–विमर्श की अनुमति देता है। भारत का विविध मतों का इतिहास रहा है। इसलिए उसे तब एक प्रमुख निर्वाचित कम्युनिष्ट राज्य सरकार बनाने का श्रेय है जब अमरीका वामपंथी विचारों से लड़ने के लिए मैकार्थीवाद का उपयोग कर रहा था।

यह कहना कि कोई तर्क केवल इस लिए बुरा है क्योंकि उसे विदेशी संगठनों का समर्थन प्राप्त है, कोई तर्क नहीं है। संचार में जो सामने आया। उससे लगता है कि आईबी के अधिकारी यह महसूस करते हैं कि अधिकार–आधारित दृष्टिकोण देश की अर्थव्यवस्था के धीमा होने का दोषी है और वे यह महसूस करते हैं कि इसकी शुरूआत गैर सरकारी संगठनों ने की है। उदाहरण के लिए यह तर्क कि भोजन के अधिकार के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिकायें दायर करने वाली गैर–सरकारी संस्थाएं राष्ट्रीय हितों के खिलाफ काम कर रही हैं क्योंकि उन्हें विदेशी निधियां प्राप्त हुई हैं। इस बात पर विचार करते हुए कि न्यायाधीश और वर्तमान सरकार अंततः इस तर्क से सहमत हुए, जो कानून बनाया गया उससे उन करोड़ों लोगों को मदद मिलेगी जो पर्याप्त भोजन प्राप्त नहीं कर पाते।

इसी प्रकार एक लंबे संघर्ष के बाद सूचना अधिकार कानून बनाया गया और इसे व्यापक भ्रष्टाचार को रोकने वाला देश का सबसे मजबूत कानून माना जाता है। इस प्रकार गैर–सरकारी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाना या खनन या नाभिकीय ऊर्जा के खिलाफ आंदोलन चलाने के उनके संसाधनों पर रोक लगाना गलत है। आखिरकार ये गैर सरकारी संस्थाएं ही हैं जिन्होंने नदियों में प्लास्टिक के खिलाफ अभियान शुरू किया था। यह सरकार द्वारा इससे अपनाने के काफी पहले किया गया। राष्ट्रीय व्यक्तित्व, श्री सुन्दरलाल बहुगुणा ने बड़े बांधों के खिलाफ अभियान की शुरूआत उससे काफी पहले कर दी थी जब इसके बारे में बात करना फैशन सा हो गया था।

सरकार अक्सर यह तर्क देती है ऐसे आंदोलनों के लिए यदि भारतीय निधियों का उपयोग किया जाता है जो इसमें कोई समस्या नहीं है– वह इस बात को पूरी तरह जानते हुए ऐसा कहती है कि सरकार के विरुद्ध आंदोलन के लिए कोई भी निधियां नहीं देगा। भारत में मुख्य अनुदानकर्ता या तो सरकार है या फिर निजी कंपनियां हैं। कौन सी सरकार या कंपनी ऐसे आंदोलन के लिए पैसा देगी जो खुद उसी के खिलाफ हों। इसलिए भारतीय गैर–सरकारी संस्थाएं विदेशों से संसाधन जुटाती हैं तो उन्हें क्यों रोका जाये। अगर सरकार को लगता है कि ये संगठन गलत हैं तो सरकार जनतांत्रिक तरीकों से इनसे निबट सकती है।

एफसीआरए अधिनियम की – जो वर्तमान में मूलतः व्यवस्था से अलग नागरिक समाज की आवाज का गला घोंटने का साधन बन गया है – प्रासंगिकता पर भी सवाल उठाने की जरूरत है। वर्ष 2012–13 में भारत को प्रवासी भारतीय से प्राप्त एशियों के अलावा 125 अरब अमरीकी डालर प्रात हुए थे; इसकी तुलना में 22,000 से भी अधिक संगठनों को 2 अरब से भी कम विदेशी निधियां प्रात हुई हैं जो औसतन प्रति संगठन मात्र लाख रुपये है। क्या इस प्रकार की निधियों का उपयोग करके भारत को सचमुच विस्थापित किया जा सकता है।

महाराष्ट्र की आवाज

—वाणी द्वारा लिखित

महाराष्ट्र भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। राज्य की अर्थव्यवस्था समृद्ध है और यहीं भारत की आर्थिक राजधानी मुम्बई स्थित है। पिछले कुछ वर्षों में राज्य का विकास हुआ है और साथ ही उसकी चुनौतियां भी बढ़ी हैं जिनका संबंध इस संवृद्धि को समावेशपूर्ण तरीके से करने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए विकास के स्थायित्वपूर्ण मॉडलों का विस्तार करने से है।

कुछ वर्षों से महाराष्ट्र को भारत के एक प्रगतिशील राज्य के रूप में जाना जाता है। महाराष्ट्र राष्ट्रीय औद्योगिक उत्पादन में 15 प्रतिशत का और भारत के राष्ट्रीय राजस्व में 40 प्रतिशत का योगदान करता है।

स्वैच्छिक संस्थाओं का योगदान और प्रभाव

यहां स्वैच्छिक संस्थाओं का विकास हुआ और उन्होंने महाराष्ट्र के तथा साथ ही देश के विकास में योगदान किया। विभिन्न स्तरों पर उभरने वाले अनेक मुद्दों के प्रत्युत्तर में महाराष्ट्र में स्वैच्छिक संस्थाओं की संख्या में वृद्धि हुई है।

- ये स्वैच्छिक संस्थाएं स्वास्थ्य देखरेख शिक्षा आदि जैसे वर्तमान कार्यक्रम ढांचों के अंतर्गत सामाजिक सेवाएं प्रदान कर रही हैं। इनमें से कुछ संस्थाओं का सेवाएं प्रदान करने में नवाचारपूर्ण कार्यों और गुणवत्ता के लिए व्यापक रूप से सम्मान किया जाता है।
- जेंडर आधारित हिंसा, गैर नवीकरण जैसे सामाजिक विकास के मुद्दों पर जागरूकता फैलाना। स्वैच्छिक संस्थाएं राज्य और देश में विभिन्न कार्यकलाप संचालित कर रही हैं। उन्होंने लोगों की दुर्दशा को उजागर करने और संबंधित अधिकारियों के साथ इस संबंध में पैरवी (एडवोकेसी) करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- कुछ स्वैच्छिक संस्थाएं विशेष प्रकार की सेवाएं प्रदान कर रही हैं जैसे कि प्रशिक्षण, प्रलेखीकरण (डाक्यूमेंटेशन), संचार माध्यम शिक्षा और पैरवी (एडवोकेसी) आदि।
- इसके अलावा स्वैच्छिक संस्थाएं सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों में अपना निवेश प्रदान करती हैं जैसे कि स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना, वन अधिनियम जैसे अधिनियमों के संदर्भ में नीतिगत सुझाव देना, आदि।
- विपदा आने की स्थिति में स्वैच्छिक संस्थाओं ने आगे आकर बड़े पैमाने पर राहत और पुनर्वास का कार्य किया है।

स्वैच्छिक संस्थाओं के सामने उपस्थित चुनौतियां

1. **लाइन विभागों द्वारा उत्पीड़न** – राज्य सरकार और स्वैच्छिक संस्थाओं के बीच साझेदारी

   क) अधिकारियों से संबंधित संबंध से मुद्दे– अधिकारी स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं के कार्य करने में सक्षम होते हैं क्योंकि अक्सर उन्हें ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है जो राजनीतिक और व्यावसायिक रूप से अधिक प्रेरित होते हैं। अनधिकारिक रूप से अधिकारियों का कहना था कि वे गैर–सरकारी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं की तुलना में ऊपर की स्थिति में हैं। इसके अलावा अधिकारियों के साथ व्यक्तिगत संपर्क करने और लॉबिंग करने से परियोजनाएं मंजूर कराने में मदद मिलती है।

   ख) विभागों का नौकरशाही वाला दृष्टिकोण: लाइन विभागों से संबंध बनाना एक कठिन कार्य है, और स्वैच्छिक संस्थाओं को उनसे संपर्क करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। किंतु कुछ अच्छे अधिकारी भी होते हैं और उनका स्थानांतरण (ट्रांस्फर) हो जाता है जो स्वैच्छिक संस्थाओं के लिए काम को आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है।

   ग) व्यवस्थागत रूप से मौजूद प्रक्रियाएं: डॉक्यूमेंटेशन और कागजी कार्रवाई/रिकार्डों की वजह से अनुबंध (कंट्रेक्ट) बनाने और निधियों को जारी करने में विलम्ब होता है। इस उद्देश्य से निधियां जारी करने के लिए कई बार सरकारी विभागों से संपर्क करना पड़ता है।

   घ) कागजी योजनाएं: पिछले पांच वर्षों में सरकार ने अनेक योजनाएं प्रकाशित की हैं जिनका कार्यान्वयन स्थानीय स्वैच्छिक संस्थाओं के साथ तालमेल से किया जाना है; पर यह पाया गया है कि ये योजनाएं केवल कागज पर धरी रह गईं हैं, उनको मंजूर नहीं किया गया है। जब

[1] http://www.rediff.com/business/slide-show/slide-show-1-indian-states-with-highest-per-capita-income/20110825.html

सरकार द्वारा योजनाओं को मंजूरी नहीं दी जाती तो स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा आवेदन प्रक्रिया को संप्रेषित करने में काफी अंतर रह ही जाता है।

2. निधिदान (फंडिंग) संबंधी चुनौतियां

क) अंतर्राष्ट्रीय अनुदानकर्ता संगठनों से निधियों की उपलब्धता कम हो रही है क्योंकि ये अनुदानकर्ता संगठन यह मानते हैं कि भारत ने आर्थिक प्रगति की है; और महाराष्ट को एक विकसित राज्य माना जाता है।

ख) निधियों के स्रोतों और स्रोतों की लामबंद करने की विशेषज्ञता/ज्ञान का अभाव।

ग) कौशलों की कमीः कुशल मानव संसाधनों और विशेषज्ञ कर्मियों तथा टीम को काम पर लगाने की क्षमता का अभाव है।

घ) समुदाय–आधारित कार्यकलापों के लिए निधियां जुटाने में कठिनाई है।

ङ) सरकारी एजेंसियां से निधियां प्राप्त करने में विलंब और बाधाएं

च) प्रतिनिधियों के बीच निधियां एकत्र करने के मामले में विश्वास का अभाव है।

3. पंजीकरण संबंधी चुनौतियां – राज्य–विशिष्ट

स्वैच्छिक संस्थाओं को विभिन्न कानूनी प्राधिकारियों के पास पंजीकरण कराना पड़ता है। महाराष्ट्र में गैर–सरकारी संस्थाओं को पंजीकरण कराने की कार्य–प्रक्रियाओं में काफी समय व्यय करना पड़ता है; प्रयासों की दृष्टि से काफी अधिक मानव संसाधनों का उपयोग करना पड़ता है। इनका उपयोग ऐसे दूसरे कार्यकलापों के लिए किया जा सकता था जो संस्था के विकास में योगदान करें।

क) संबंधित नियमनकारी निकायों के साथ कठिन कानूनी अनुपालनः कई स्वैच्छिक संस्थाओं को यह कठिन लगता है। चैरिटी आयुक्त के कार्यालय में ऑडिट रिपोर्ट जमा करना एक कठिन कार्य है क्योंकि कार्यालय से उपयुक्त मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होता।

सिफारिशें

1. विशेष सूचना और मार्गदर्शन सुविधाएंः स्वैच्छिक संस्थाओं के कानूनी मामलों में सहायता करने के लिए चैरिटी आयुक्त, आयकर विभाग, एफसीआरए प्रभाग को सूचना और मार्गदर्शन सुविधाएं प्रदान करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। इस उद्देश्य से वे अपनी–अपनी शाखाओं में जिला, क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय डेस्क स्थापित कर सकते हैं या स्वैच्छिक संस्थाओं के नेटवर्कों को सहायता प्रदान कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर शामिल किये जा सकते हैं। जमीनी स्तर की संस्थाओं की सहायता के लिए इसे मराठी भाषा में तैयार किया जा सकता है।
2. केंद्रीकृत डाटा प्रणालियांः चाहे चैरिटी आयुक्त हों या एफसीआरए विभाग हो– कहीं से भी महाराष्ट्र में स्वैच्छिक संस्थाओं के बारे में आंकड़े एकत्र करना कठिन होता है। कोई ऐसा प्रावधान होना चाहिए जिसके माध्यम से सभी पंजीकृत सीबीओज, एनजीओज, नेटवर्कों और ट्रस्टों के बारे में आम जनता और साथ ही नीति निर्माताओं को जानकारी उपलब्ध हो सके।
3. कानूनी मामलों और उनके अनुपालन पर प्रचारः कई संस्थाओं के लिए, और विशेषकर दूर–दराज के क्षेत्रों में स्थित संस्थाओं के लिए कानूनी बदलावों के बारे में जानकारी प्राप्त करना कठिन हो जाता है। इस प्रकार की जानकारी व्यापक रूप से क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराई जानी चाहिए। वाणी जैसे राष्ट्रीय नेटवर्कों को ऐसे विशेष अनुदान प्रदान करने चाहिए जिनका उपयोग राज्य नेटवर्क जानकारी के प्रचार–प्रसार के लिए कर सकें सूचना बैंक तैयार कर सकें जो महाराष्ट्र की सभी स्वैच्छिक संस्थाओं के लाभ के लिए उपलब्ध हो सके।
4. बदलते परिप्रेक्ष्यों के लिए प्रशिक्षणों को सुगम बनाना और उनका आयोजन करनाः इसका अर्थ है आपसी संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सरकारी अधिकारियों और स्वैच्छिक संस्थाओं के लिए प्रशिक्षण आयोजित करना। इससे दोनों पक्षों की क्षमताओं में वृद्धि होगी और उनके आपसी संवाद के अवसर पैदा होंगे। अधिकतर स्वैच्छिक संस्थाओं ने अपने कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण की जरुरत पर बल दिया है। प्रशिक्षण कानूनी दायित्वों के निर्वाह, वित्तीय रिकार्ड तैयार करने, प्रगति संबंधी प्रासंगिक दस्तावेजों का तैयार रखने, आदि के संबंध में आयोजित किये जा सकते हैं। उनमें से कुछ का कहना था कि गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों के लिए भी प्रशिक्षण आवश्यक है ताकि वे संस्था के लिए उपयुक्त फैसले ले सकें और नीतियां तैयार कर सकें। संस्था के आडीटरों को भी प्रोत्साहित कर इस आदान–प्रदान का अंग बनाया जाना चाहिए।
5. सरलीकृत समन्वित कार्यतंत्रः एक सरलीकृत संपर्क और समन्वय प्रक्रिया से स्वैच्छिक संस्थाओं के लिए अधिकारियों के साथ आपसी संवाद और संपर्क करना आसान हो जाता है। इससे अधिकारी भी अधिक अनुक्रियाशील या उत्तरकारी बनेंगे। सरकारी अधिकारी योजनाओं और कार्यक्रमों में गैर–सरकारी संस्थाओं की भागीदारी को सुगम बना सकेंगे।
6. साझेदारी केंद्र स्थापित करनाः साझेदारी की संस्कृति को ट्रस्ट और सरकारी विभाग बदलाव के लिए सहायता प्रदान करना चाहते हैं, पर उनके पास भरोसेमंद संपर्कों का अभाव होता है। अतः ऐसे साझेदारी केंद्र स्थापित किये जाने चाहिए जहां स्वैच्छिक संस्थाओं के बारे में जानकारी को अपडेट किया जा सके और उनकी जरुरतों की प्रर्ति की जा सके। इस प्रकार के केंद्रों के माध्यम से परियोजना विकास, मूल्यांक, शोध, दस्तावेजीकरण आदि के क्षेत्र में कुछ विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं। प्रतिनिधि ऐसी सेवाओं के लिए थोड़ा योगदान देने के इच्छुक थे।?
7. स्वैच्छिक क्षेत्र को बल प्रदान करने के लिए विशेष प्रावधानः राज्य और स्थानीय स्वशासी निकायों के बजटों में अवसंरचना और क्षमता–निर्माण सेवाएं प्रदान करने के लिए विशेष प्रावधान होने चाहिए। कई स्वैच्छिक संस्थाओं को कार्यालय परिसर न होने की वजह से अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इससे सरकार की ओर से स्वैच्छिक क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु एक सकारात्मक संकेत मिलेगा।

मेरी आवाज: एलिस फ्रैंसिस, DevEx.com की पत्रकार

यह इस समय विश्व में आर्थिक विकास और स्वैच्छिक कार्रवाई पर नजर रखने वाली वेबसाइट DevEx.com के लिए कार्य करने वाली पत्रकार एजिस फ्रैंसिस से लिया गया साक्षात्कार है। एक पत्रकार के रूप में उनकी रिपोर्टिंग का मुख्य क्षेत्र भारत में निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) है।

क्या आप DevEx.com की भूमिका और उसके विषयगत क्षेत्र के बारे में बता सकती हैं?

DevEx.com एक ऑनलाइन पहलकदमी है जो अंतर्राष्ट्रीय विकास और उसे प्रभावित करने वाले विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करती है जैसे कि मानवतावादी राहत, स्वैच्छिकतावाद, स्वास्थ्य आदि। एक ज्ञान और संसाधन केंद्र के रूप में हम विकास उद्योग से जुड़े लोगों को ज्ञान, जानकारी, रूझानों और विश्लेषण से अवगत कराते हैं। इसका नेतृत्व विश्व बैंक, ओईसीडी, यूएसएड आदि के जानेमाने नेता करते हैं। एक मंच के रूप में हम सभी क्षेत्रों के साथ सहयोग करते हैं – चाहे वे गैर–सरकारी संगठन हों, सरकार हो या फिर निगमित उद्यम हों। एक ऑनलाइन पोर्टल के रूप में संस्था विकास में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल सभी हिस्सों की जरूरतों को पूरा करती है।

DevEx.com में एक पत्रकार के रूप में क्या आप यह स्पष्ट करेंगी कि आप किस विशेष क्षेत्र में कार्य कर रही हैं?

एक पत्रकार के रूप में मैंने आस्ट्रेलिया, नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका और अभी भारत में काम किया है। मैंने अनेक विकास मुद्दों पर रिपोर्टिंग की है। पर मेरी दिलचस्पी का मुख्य क्षेत्र भारत में निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) है, क्योंकि यह पहला देश है जिसने कानूनी रूप से इसे अनिवार्य बनाया है। भारत में इस घटनाक्रम को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उत्सुकता से देख रहा है। वे यह देख रहे हैं कि सीएसआर का उपयोग किस प्रकार हो रहा है और वे अपने–अपने देशों में कैसे इसे दोहरा सकते हैं।

क्या आपने दूसरे देशों में सीएसआर से संबंधित केस स्टडीज देखी है?

एक विशेष केस स्टडी बंगलादेश की है जिसे मैंने कवर किया था। इसमें राना प्लाजा ढह गई और पीड़ितों के परिवारों को कंपनियों ने क्षतिपूर्ति की। पर दिलचस्प बात यह थी कि ये सभी फैक्ट्रियां अपनी कार्य–क्षमताओं के अनुसार अलग–अलग थीं और बहु–राष्ट्रीय कंपनियां (एमएनसीज) अपने निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) का बोझ स्थानीय कंपनियों पर पर डाल रही थीं।

आप भारत में सीएसआर के कार्यान्वयन पर एक रिपोर्ट तैयार कर रही थीं; इस संबंध में आपकी टिप्पणियां क्या हैं?

मेरी रिपोर्ट का संबंध भारत में सीएसआर के कार्यान्वयन से है। मैं इस कानून को लेकर कंपनियों की प्रतिक्रिया पर नजर रख रही हूं और यह जानना चाहती हूं कि क्या वे इसका पालन कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। सीएसआर के मामले में अनेक समस्याएं हैं और साथ ही अनेक अवसर भी हैं। यह दिलचस्प है क्योंकि यह निगमित और स्वैच्छिक क्षेत्र, दोनों के लिए एकदम नया प्रतिमान प्रस्तुत करता है।

एक पत्रकार के रूप में क्या आप सीएसआर से अलग अन्य विकास क्षेत्रों के लेकर काम कर रही हैं?

हां, मैं विकास एजेंसियां और अनुदानकर्ता संस्थाओं, दोनों की भूमिका का अध्ययन और विश्लेषण कर रही हूं । इस दृष्टि से कि सरकार के साथ उनका कैसा संबंध है और वे स्थानीय गैर–सरकारी संस्थाओं के साथ किस प्रकार से कार्य करते हैं, उनके वित्तपोषण (फंडिंग) का स्वरूप क्या है। वर्ष 2006–07 से भारत में वित्तपोषण में गिरावट की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण अध्ययन है। इसके साथ ही यह अध्ययन विदेशी वित्तपोषण की स्थायित्व पर भी सवाल उठाता है क्योंकि भारत और उस जैसे देश में अपने संसाधन अधिकाधिक रूप से जुटा रहे हैं।

पहले आपने कहा कि विकसित देश भारत में सीएसआर के कार्यान्वयन पर नजर रख रहे हैं। क्या विकसित देशों में भी सीएसआर प्रक्रियाएं चल रहीं हैं?

हां लगभग एक दशक से अधिक समय विकसित विश्व में सीएसआर की स्थापना हो चुकी है। यूरोप में सीएसआर अनेक रूपों में सामने आया है और उसका 15 साल पुराना इतिहास है। अमरीका में सीएसआर अलग रूप में है। उसमें श्रमिकों का देखरेख होती है और पर्यावरण के प्रति वह संवेदनशील है। इसके साथ ही कंपनियों के संगठन और व्यावसायिक घराने उन कंपनियों के साथ काम करने के लिए उत्सुक रहते हैं जो सीएसआर का अनुपालन करते हैं।

वाणी की आंकड़ा–संग्रह पहलकदमी

वाणी अपने सभी सदस्यों, एसोसिएट सदस्यों और मित्रों से आग्रह करती है कि एफसीआर रिटर्न के साथ उसकी वार्षिक/आडिट रिपोर्टें भेजें (यदि आपका एफसीआरए एकांउंट है) यह कार्य आपकी संस्था के लिए सहायक होगा क्योंकि इससे –

क) आपकी विश्वसनीयता सुनिश्चित होगी और आपके पारदर्शिता तथा जवाबदेही के मानक तय होंगे।
ख) इससे सीआरएस डायरेक्टरी को तैयार करने के लिए सीएसआर के उपयोग हेतु कंपनियों को जानकारी दी जा सकेगी।
ग) अगर सरकार के साथ कोई टकराव हो तो वाणी आपकी ओर से कार्य कर सकेगी।

आप हार्ड कापीज भी भेज सकते हैं। और info@vaniindia.org पर सॉफ्ट कॉपी भी भेज सकते हैं।

(अगर आपने अपनी रिपोर्टें भेज दी है तो इस संदेश का पालन न करें)

संगठन का परिचयः जागोरी

जागोरी की शुरूआत एक सामूहिक के रूप में हुई थी, और शुरू से ही मुद्दों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता एकदम स्पष्ट थी। चुनौती स्त्रीवादी चेतना को ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाने की, सक्रियता और सिद्धांत को एक दूसरे के निकट लाने की थी और इस बात की थी कि मुख्य कार्य–क्षेत्र, महिलाओं तक जिनमें से अधिकतर शिक्षित नहीं हैं – पहुंच बना कर किस तरह रचनात्मक रूप से कार्य किया जाये। महिला आंदोलन के सरोकारों और धाराओं को समूहों और संगठनों के लगातार व्यापक होते नेटवर्क से जोड़ना जागोरी के कार्य के केंद्र में रहा है। जागोरी के दो दशक तक चले कार्य के दौरान हमने बिहार, हिताचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल के हिन्दीभाषी राज्यों में जमीनी स्तर की महिला नेताओं तक अपनी पहुंच बनाई है।

मिशन वक्तव्य

हमारा उद्देश्य एडवोकेसी, परिप्रेक्ष्य निर्माण और महिलाओं के मानव अधिकारों के विरुद्ध संघर्ष में सहायता प्रदान करके तथा ज्ञान के नये स्वरूप का जनन करके राष्ट्रीय और स्थानीय स्तरों पर विविध हितधारकों के साथ स्त्रीवादी चेतना को गहन बनाना है। इसका अर्थ है शहरों में अधिक सुरक्षित और अधिक समावेशपूर्ण वातावरण की दिशा में काम करना और महिलाओं को सम्मान, न्याय और अधिकार प्राप्त करने में सहायता करना।

हमारे लक्ष्य

हिंसा, स्वास्थ्य, शिक्षा और महिलाओं के व्यक्तिगत और सामूहिक सशक्तीकरण के लिए महत्वपूर्ण अन्य मुद्दों पर जागरूकता का निर्माण करना तथा स्त्रीवादी मुद्दों पर रचनात्मक सामग्री वितरित करना।

महिला समूहों, गैर–सरकारी संस्थाओं और विकास संगठनों की जरूरतों की पूर्ति के लिए स्त्रीवादी सरोकारों पर जानकारी और ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना।

महिला अधिकारों पर एडवोकेसी और जेंडर संबंधी समानता

"आइए मैं आपको संस्था की शुरूआत की ओर वापस ले चलूं, क्योंकि हमारा मानना है कि हम स्त्रीवाद की नई लहर का अंग हैं यही समय हमें परिभाषित करता है। हम अपने आप को राजनीतिक दलों और सरकार से स्वायत्त और अपने निर्णयों की दृष्टि से स्वायत्त महिला समूह कहते हैं। जब हमने शुरूआत की तब हमारे पास यह कहने का कोई ऐसा प्रयोजन नहीं था कि किसी स्त्रीवादी संस्था को किस प्रकार से संचालित किया जाता है; पर हमारे पास एक अत्यंत जनतांत्रिक सामूहिक ढांचे को लेकर प्रतिबद्धता थी। तो हमारी संस्था में वास्तव में कोई पद नहीं है। हर कोई हर काम एक साथ करता है और काफी सारा काम मिलजुल कर किया जाता है।

आभा भैया, संस्थापक सदस्य, जागोरी

जागोरी की शुरूआत एक सामूहिक के रूप में हुई थी, और शुरू से ही मुद्दों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता एकदम स्पष्ट थी। चुनौती

स्त्रीवादी चेतना को ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाने की, सक्रियता और सिद्धांत को एक दूसरे के निकट लाने की थी और इस बात की थी कि मुख्य कार्य–क्षेत्र, महिलाओं तक जिनमें से अधिकतर शिक्षित नहीं हैं – पहुंच बना कर किस तरह रचनात्मक रूप से कार्य किया जाये।

नये संचार साधन विकसित किये गये जैसे कि स्त्रीवादी गीत जो आज भी जागोरी के कार्य के केंद्र में है। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रयास था – स्त्रीवादी प्रशिक्षण – यह एक सामूहिक शिक्षण का अनुभव था, जिसमें इस्तेमाल की गई पद्धतियां न केवल भागीदारीपूर्ण थीं, बल्कि वे महिलाओं के सीखने के तरीकों पर भी आधारित थीं।

महिला आंदोलन के सरोकारों और धाराओं को समूहों और संगठनों के लगातार व्यापक होते नेटवर्क से जोड़ना जागोरी के कार्य के केंद्र में रहा है। जागोरी के दो दशक तक चले कार्य के दौरान हमने बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल के हिन्दीभाषी राज्यों में जमीनी स्तर की महिला नेताओं तक अपनी पहुंच बनाई है।

कार्यकलाप

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सीमांतीकृत और उत्पीड़ित महिलाओं को जागरूकता और अधिकार हेतु कार्रवाई के साथ सक्षम बनाने के लिए जागोरी व्यक्तिगत स्तर पर महिलाओं, उनके साझेदारों, समुदाय के सदस्यों, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और अन्य राज्य/संस्थागत कर्ताओं सहित विभिन्न हितधारकों के साथ साझेदारी में प्रशिक्षण, दस्तावेजीकरण, जमीनी स्तर पर कार्य–शोध, एडवोकेसी, और अभियान चलाने का कार्य करती है।

स्त्रीवादी सिद्धांतों और रणनीतियों पर परिप्रेक्ष्य और क्षमता का विकास

प्रशिक्षण : एक संक्षिप्त टिप्पणी

अपनी स्थापना के समय से ही प्रशिक्षण जागोरी के कार्य का महत्वपूर्ण अंग रहा है। उसका उद्देश्य महिला आंदोलन के भीतर वर्तमान और नये उभरते मुद्दों पर संवाद के माध्यम से जेंडर समानता पर परिप्रेक्ष्य विकसित करना है। जागोरी महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा की व्यवस्थागत प्रकृति और उनकी सुरक्षा तथा आधिकारों को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए सीमांतीकृत और उत्पीड़ित समूहों के जीवन को प्रभावित करने वाले अनसुलझे सवालों के संबंध में जागरूकता पैदा करने का प्रयास करती है। वह विवाह, परिवार, धर्म और राज्य तथा महिलाओं के दर्जे पर उसके प्रभाव सहित पितृसत्तात्मक संस्थाओं के बीच संबंधों की समझ प्रदान करती है। प्रशिक्षणों के आयोजन में जागोरी का कार्य सिद्धांत है – "व्यक्तिगत राजनीतिक है"। दूसरे शब्दों में जागोरी सहभागियों के जीवन और कार्य में स्त्रीवादी परिप्रेक्ष्य लाकर उनके क्षमता निर्माण में मदद करती है।

लक्ष्य:

जागोरी के प्रशिक्षणों के लक्ष्य इस प्रकार है:

- जेंडर, पितृसत्ता और स्त्रीवाद पर अवधारणात्मक स्पष्टता निर्मित करना।
- स्त्रीवादी परिप्रेक्ष्य से विकास प्रतिमानों की महत्वपूर्ण समझ के साधन विकसित करना।
- महिला आंदोलन – उसकी स्थापना, उपलब्धियों, चुनौतियों और चल रहे अभियानों के बारे में ज्ञान प्रदान करना।
- इस समय के जीवन और कार्य में इस समझ को लागू करने की क्षमताएं विकसित करना।

प्रशिक्षण के क्षेत्र – विभिन्न समूहों तक पहुंच बनाना

हमारे प्रशिक्षणों के सफर की शुरूआत जेंडर, पितृसत्ता और स्त्रीवाद की अवधारणात्मक समझ पर आयोजित कार्यशालाओं से हुई। धीरे–धीरे करके इन प्रशिक्षणों के अंतर्गत महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, अकेली महिला, महिलाओं को मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य, स्त्रीवादी परिप्रेक्ष्य से वैकल्पिक चिकित्सा आदि जैसे मुद्दों को शामिल किया गया।

जागोरी अपने वार्षिक जेंडर पाठ्यक्रम विषयगत और उन्नत पाठ्यक्रमों, संक्षिप्त सत्रों और दीर्घाकालिक संबंधित कार्यों के माध्यम से सभी आयु की महिलाओं, युवाओं और पुरुषों तक पहुंच बनाती हैं। ये कार्यक्रम गैर–सरकारी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, जमीनी स्तर के नेताओं और जेंडर प्रशिक्षकों की जरूरतों को पूरा करते हैं। जागोरी ने स्कूलों और कालेजों के छात्रों, सरकारी संस्थाओं, द्विपक्षीय और अनुदानकर्ता एजेंसियों के साथ जेंडर संवेदीकरण सत्र और कार्यशालाएं आयोजित की हैं। यह कार्यक्रम जेंडर कार्यकर्ताओं और प्रशिक्षकों से जुड़ा है और एडवोकेसी के स्तर पर इसका एक मजबूत नेटवर्क है।

संसाधनों का उपयोग: नये माड्यूल्स, तकनीकों में सुधार और उनका निर्माण

प्रशिक्षण दल संसाधनों और प्रशिक्षण सामग्री व्यापक राशि का उपयोग करता है जिसे 1984 के बाद तीन दशक से भी अधिक समय के जागोरी के विस्तारित कार्य के दौरान तैयार किया गया

है। इसके साथ ही बदलते सदंर्भों और अपेक्षाओं को प्रतिबिंबित करने के लिए नये माड्यूल्स भी तैयार किये जाते हैं। प्रशिक्षण सामग्री का उपयोग प्रशिक्षण स्थल पर तो किया ही जाता है, बल्कि पठन सामग्री के रूप में इसे वितरित भी किया जाता है। सहभागियों के नाम जागोरी की डाक सूची में जोड़े जाते हैं ताकि वे देश में प्रासंगिक मुद्दों पर वर्तमान चर्चाओं से अवगत बना सकें।

प्रशिक्षण की पद्धति

प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्यतः हिंदी और अंग्रेजी में आयोजित किये जाते हैं। सहभागितापूर्ण अधिगम, जेंडर प्रशिक्षण उपकरणों के उपयोग, छोटी समूह चर्चाओं, रोल प्ले, गीत, कला और आख्यानों (कहानियों आदि) पर बल दिया जाता है। प्रशिक्षण व्यक्तिगत अनुभव और चिंतन पर आधारित होता है जिसके फलस्वरूप सहभागी अपने और दूसरों के जीवन में बदलाव के अवसर देखते हैं। सहभागियों को इस शिक्षण को लागू करने में संसाधन व्यक्तियों की सहायता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया
जाता है।

पाठ्यक्रम की विषय–वस्तु

माड्यूल्स सहभागियों की जरूरतों और अपेक्षाओं को देखते हुए तैयार किये जाते हैं। इनमें वर्तमान परिचर्चाओं और प्रश्नों को शामिल किया जाता है। बुनियादी माड्यूल इस प्रकार हैं:

- जेंडर, पितृसत्ता और स्त्रीवाद की अवधारणाएं
- महिलाओं के विरुद्ध हिंसा/महिलाओं से संबंधित कानून
- महिलाएं और कार्य, भूमंडलीकरण
- महिलाओं के लिए शहरों को सुरक्षित बनाना
- यौनिकता (सेक्सुएलिटी)
- पुरूषत्व (मेस्क्यूलिनिटी)
- महिलाएं और अभिशासन

इसके साथ ही महिला समूहों, गैर–सरकारी संस्थाओं, शोधकर्ताओं, संचार माध्यमों, स्कूलों और कॉलेजों, पुनर्वास क्षेत्रों के समुदाय की महिलाओं, युवाओं और अन्य नियमित उपयोगकर्ताओं की जानकारी संबंधी जरूरतों की पूर्ति के लिए शैक्षिक और एडवोकेसी सामग्री तैयार और वितरित की जाती है।

1984 से महिला आंदोलन की महत्वपूर्ण सामग्री को डिजिटाइज करना और उनका अभिलेखागार बनाना।

महिला कार्यकर्ताओं को फैलोशिप सहायता

हिंसा में हस्तक्षेप

हेल्पलाइन संचालित करना और न्यायालय संबंधी सहायता सेवाएं। महिलाओं के साथ प्राथमिकी दर्ज कराने पुलिस स्टेशन जाना, संरक्षण और सुरक्षित आश्रय प्रदान करना, कानूनी सहायता और परामर्श प्रदान करना।

उत्पीड़न से बची महिलाओं को चिकित्सा प्रदान करना और उनके सामूहिक बनाना तथा उन्हें कानूनी सहायता प्रदान करना।

पुलिस, संबंधित सरकारी एजेंसी, संचार माध्यमों और अन्य हितधारकों का संवेदीकरण करना।

कानूनी ढांचे और कार्यान्वयन कार्यतंत्रों में बदलावों पर नीतिगत एडवोकेसी करना।

सुरक्षित शहर पहलकदमी

सुरक्षित शहर पहलकदमी शहरों को अधिक सुरक्षित और जेंडर समावेशी बनाने के लिए सरकार, महिला आंदोलन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्टीय एजेंसियों के साथ मिलकर कार्य करती है। इसके मुख्य कार्यकलाप इस प्रकार हैं:

- महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए शोध अध्ययन और सुरक्षा ऑडिट करना।
- एक रणनीतिक ढांचा और योजना तैयार करना
- विभिन्न आयोजनों का आयोजन करके और उनमें भाग लेकर आम लोगों तक पहुंच बनाना

- सेवा प्रदाताओं के साथ परामर्श और उनका प्रशिक्षण
- संचार माध्यम जागरुकता और संचार समग्री
- छात्रों युवा महिलाओं और पुरुषों, बेघर और विकलांग महिलाओं, शहरी योजनाकारों, नागरिक एजेंसियों और महिला समूहों के साथ जागरूकता सत्र आयोजित करना।

नये दृष्टिकोणों को अग्रणी आधार लागू करना और महिला नेतृत्व को समर्थन प्रदान करना

दिल्ली की कुछ चुनी हुई पुनर्वास बस्तियों में महिला सहकारों को कार्य शोध परियोजनाओं, संसाधन मानचित्रण, सामाजिक और सुरक्षा ऑडिट, सार्वजनिक सुनवाई, "महिला लघु न्यायालयों" के माध्यम से सहायता प्रदान करना ताकि उनकी आवाज और वैकल्पिक दृष्टिकोण को नीति निर्माताओं और स्थानीय कार्यान्वयकर्ताओं के सामने लाया जा सके।

भोजन का अधिकार, आश्रय, बुनियादी सेवाएं और हकदारियां, घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न पर कानूनों और नीतियों का कार्यान्वयन जैसे मुद्दों पर कार्य करते हुए महिला नेताओं को सामाजिक आंदोलनों से जोड़ना।

प्रभुत्वपूर्ण पुरुषत्व को पुनः परिभाषित करते हुए और महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध हिंसा को समाप्त करने में सहायता करने के लिए समुदाय के पुरुषों और युवाओं के साथ कार्य करना।

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अभियान

जागोरी ने अन्य महिला संगठनों और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को समाप्त करने के लिए अनेक अभियान चलाये हैं। इनके मुद्दे इस प्रकार हैं – दहेज, सती, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, आदि। इनका उद्देश्य आम लोगों में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के संबंध में जागरूकता पैदा करना और यौन हमलों के विभिन्न रूपों के खिलाफ जेंडर की दृष्टि से न्यायपूर्ण व्यापक कानून की मांग करना है।

जागोरी "वीएडब्ल्यू पर सक्रियता के 16 दिन", आरेंड डे अभियान, यौन उत्पीड़न सप्ताह और वन बिलियन राइजिंग (ओबीआर) अभियान जैसे भूमंडलीय अभियानों का हिस्सा रही है।

नई दिल्ली में 65 से भी अधिक संस्थाओं और जीवन के सभी क्षेत्रों से व्यक्तियों के सहमेल ने संगत और जागोरी के साथि मिल कर एक सामूहिक के रूप में अभियान चलाया।

रणनीतियां

सीमांतीकृत महिलाओं और समुदायों के अधिकारों के संबंध में स्त्रीवादी ज्ञान का विस्तार

जमीनी स्तर पर तीन दशक से भी अधिक समय तक कार्य करने के साथ ही जागोरी ने विशेषकर भारत में महिलाओं और सीमांतीकृत समुदायों के लिए प्रासंगिक विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत स्त्रीवादी ज्ञान और संसाधनों का निर्माण किया है। इस संबंध में अनेक अध्ययन किये गये जिन्होंने जागोरी और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई अन्य संगठनों के कार्य को समृद्धि प्रदान की। जागोरी ने शोध निष्कर्षों, क्षेत्र अनुभव और ज्ञान के आधार पर अनेक प्रकार की संसाधन सामग्री तैयार की है; और तदनुसार ही वह भारत और विश्व में व्यक्तियों तथा संगठनों को यह जानकारी प्रदान कर रही है।

महिला नेतृत्व को सहायता प्रदान करना

जागोरी वर्ष 2004 से पुनर्वास स्थलों, खादर और बवाना की झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों में कार्य कर रही है। पिछले वर्ष जागोरी ने बवाना में 7 नये ब्लॉकों तक अपनी पहुंच बनाते हुए बवाना और खादर के 12 ब्लॉकों में अपने कार्य को ठोस रूप प्रदान किया। महिला एवं बाल विकास विभाग, दिल्ली सरकार की सहायता से "राष्ट्र संघ महिला भूमंडलीय सुरक्षित शहर" कार्यक्रम के अंग के रूप में मालवीय नगर, बदरपुर और मोलारबंद, दक्षिण दिल्ली में हस्तक्षेप – कार्यक्रम शुरू किये गये हैं। जागोरी ने आने वाले वर्षों में औपचारिक हस्तक्षेप के लिए खादर और बवाना में फैक्ट्री मजदूरों के एक समूह के साथ भी संपर्क किया है। जागोरी प्रशिक्षण और कार्यशालाओं के अलावा, गली बैठकों, घर–घर जाकर मेंटों; खेलकूद कार्यकलापों के माध्यम से समुदायों की महिलाओं और लड़कियों के साथ कार्य करती हैं। साथ ह ीवह सरकारी योजनाओं और प्रावधानों के ताजा घटनाक्रम के बारे में भी जानकारी प्रदान करती है। जागोरी पुरुषों और लड़कों को लेकर भी कार्य करती है; वह जेंडर की दृष्टि से संवेदनशील बनाती है और बदलाव के लिए सहायताकारी साझेदारों के रू में उनकी क्षमताओं को विकसित करती है। सरकारी योजनाओं और प्रावधानों में किये जाने वाले नये बदलावों के बारे में समुदाय को जानकारी प्रदान सत्रों और अभियानों का आयोजन करती है ताकि समुदाय के लोग पेंशन योजनाओं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के मामलों में रेफरल सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकें।

हिंसा को चुनौती देने और समानता के लिए जोर डालने में महिलाओं की सहायता करना

हिंसा और हिंसा के डर ने लंबे समय से महिलाओं को क्षति पहुंचाई है। उदाहरण के लिए इसकी वजह से लाखों महिलाओं को अपने घर छोड़ने पड़े, अपनी आजीविकाओं से हाथ धोना पड़ा, सार्वजनिक स्थानों से पीछे हटना पड़ा, जन सेवाओं तक पहुंच को त्याग देना पड़ा और प्रतिगामी तथा क्रूर मानदंडों का सामना करना पड़ा। हालांकि आज खुले या जटिल रूप में किये जाने वाले महिलाओं के दावों की और उपेक्षा नहीं की जा सकती पर कुछ प्रगतिशील कानूनों और नीतियों के बावजूद महिलाओं के विरुद्ध हिंसा सर्व–व्याप्त है; और यह तथ्य कि उत्पीड़नकर्ता बिना सजा के बच निकलता है अपने आपमें एक बड़ी चुनौती है। इसलिए यह आवश्यक है कि जागोरी महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों की प्राप्ति के लिए जा रही कार्रवाई के साथ एकजुट होकर खड़ी रहे और स्त्रीवादी परिप्रेक्ष्य से अपने पैरवी (एडवोकेसी) के साधनों को और भी पैना बनाये। इसी के साथ जागोरी के लिए यह भी जरूरी है कि वह ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में और अधिक हितधारकों तक पहुंच बनाये और जिनका कर्तव्य बनता है उनकी जवाबदेही को गहन बनाने पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए संवाद, संलग्नता और प्रतिरोध के लिए जनतांत्रिक अवसरों का विस्तार करे।

संयुक्त कार्रवाई और नेटवर्किंग

जागोरी जमीनी स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक चलाये गये अभियानों में सक्रिय रही है। वह महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को समाप्त करने, नगरों, सुरक्षा, आवश्यक सेवाओं, भेजन, सामाजिक सुरक्षा और नागरिकता के अधिकारों जैसे व्यापक मुद्दों पर देश के महिला समूहों और नागरिक समाज के संगठनों के साथ साझेदारी में कार्य करती रही है।

एडवोकेसी

- जागोरी ने अप्रैल 2013 से आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक, 2013 में बदलाव हेतु सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए महिला समूहों के संयुक्त प्रयासों में योगदान किया है।
- जागोरी ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा समन्वित दहेज निषेध अधिनियम की समीक्षा प्रक्रिया में अपना योगदान दिया है।
- अमन नेटवर्क के अंग के रूप में और अन्य महिला संगठनों के साथ जागोरी घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा समन्वित केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना के लिए और इस कानून के प्रभावकारी कार्यान्वयन हेतु बजट आवंटन में वृद्धि करने के लिए पैरवी करती रही है।
- कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध) अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया और महिला आंदोलन के सामूहिक प्रयासों के फलस्वरूप इसमें घरेलू श्रमिकों के सरोकारों को शामिल किया गया।
- इस अवधि में जागोरी ने न्यायमूर्ति वर्मा समिति और अन्य समितियों के सामने अनेक याचिकाएं प्रस्तुत की और साथ ही महिला सुरक्षा पर अनेक बैठकों और परामर्शों में भाग लिया। इसके अलावा जागोरी ने योजना आयोग, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन, दिल्ली सरकार, यूएनएफपीए आदि के लिए आयोजित बैठकों में भी भाग लिया।
- दिल्ली के उप राज्यपाल की अध्यक्षता में यूटीटीआईपीईसी को अधिशासी निकाय ने महिला सुरक्षा सिफारिशों के साथ सड़क मार्गनिर्देशों को स्वीकार कर लिया है। कार्यबल के अंग के रूप में जागोरी ने इस बैठक में भाग लिया और भविष्य के परियोजना प्रारूपों और योजनाओं के लिए इन मार्गनिर्देशों में महिला सुरक्षा से संबंधित अपने अनुभवों शामिल कराया। महिला सुरक्षा पर जागोरी की सिफारिशों को और नगर योजना एवं डिजाइन में उनके समावेश कों दिसंबर की घटना के बाद यूटीटीआईपीईसी ने उप राज्यपाल को लिखे "सिफारिशें/कार्यबिंदु– दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा, आजादी और सम्मान" शीर्षक पत्र में उद्धृत किया।

(स्रोत:www.jagori.org)

खबरें जिनका आप उपयोग कर सकते हैं

लगभग 21000 गैर–सरकारी संस्थाओं की रिटर्न न भरने के लिए नोटिस मिला

http://timesofindia.indiatimes.com/india/Over-21000-NGOs-get-notice-for-not-filing-returns/articleshow/40147227.cms

एफसीआरए आलोचकों को चुप कराने का एक साधन है: कार्यकर्ता

http://timesofindia.indiatimes.com/india/FCRA-a-tool-to-gag-critics-Activists/articleshow/36858592.cms

गृह मंत्रालय के पास अपनी सूची है जो आईबी को सूची से अलग है

http://timesofindia.indiatimes.com/india/Home-ministry-has-own-list-different-from-IBs-of-donors-and-donees/articleshow/36858672.cmsof donors and donees

क्लिंटन ने जयपुर की गैर–सरकारी संस्था के किचन में बच्चों को भोजन कराया

http://www.hindustantimes.com/india-news/on-third-visit-to-india-clinton-treats-school-kids-at-ngo-kitchen/article1-1241238.aspx

पंजाब में नशीली दवाओं के सेवन पर गैर–सरकारी संस्था ने चिंता जताई

http://www.hindustantimes.com/punjab/chandigarh/ngo-expresses-concern-over-drug-addiction-in-punjab/article1-1229125.aspx

यूनिसेफ इंडिया ने सुधारकारी किशोर न्याय प्रणाली पर ध्यान केंद्रित किया और किशोर न्याय अधिनियम संशोधन के बारे में चिंता प्रकट की

http://www.unicef.org/india/media_8969.htm

बच्चों के ठिगनपने के मामले में तेज गिरावट –महाराष्ट्र सबसे आगे: समाचार रिपोर्ट

http://www.unicef.org/india/reallives_8973.htm

यूएनएफपी ने देश के सबसे बड़े डाटासेट्स युवाओं की आसान पहुंच में लाया

http://india.unfpa.org/2011/10/19/4053/unfpa_puts_the_nation_rsquo_s_biggest_datasets_on_youth_at_your_fingertips/

वाणी के कार्यकलाप जून 2014–जुलाई 2014

वाणी के नई दिल्ली स्थिति कार्यालय में 3 जून को स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए अनुकूल वातावरण पर विचार–विमर्श।
नई दिल्ली में आईआईसी में 10 जून 2011 को नई सरकार और स्वैच्छिक संगठनों का भविष्य विषय पर विचार–विमर्श
नई दिल्ली के आईआईसी में 25 जून 2014 को सिविकस का राष्ट्रीय परामर्श
नई दिल्ली के आईआईसी में 23 जुलाई 2014 को उपद्रवग्रस्त/संकटपूर्ण राज्यों के संबंध में बैठक

आगामी आयोजन

11–13 अगस्त 2014 को विंधाम ग्रांड में रणनीतिक टीम निर्माण पर कार्यशाला
7 अगस्त 2014 को मेघालय में पूर्वोत्तर भारत के स्वैचिछक क्षेत्र की स्थिति पर राज्य बैठक
26–27 अगस्त 2014 को नई दिल्ली के होटल कंफर्ट जोन में दक्षिण–दक्षिण सहयोग पर अंतर्राष्ट्रीय बैठक
16 सितंबर 2014 को महाराष्ट्र के नागपुर में वॉइस 2014/ वार्षिक महासभा की बैठक